PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

फरवरी 2020 | अंक-2

केन्द्रीय बजट 2020-21

एक नजर में

- बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय
- वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2020-21
- मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना
- निर्गम परिणाम रूपरेखा 2020-21
- केन्द्रीय बजट 2020-21 की प्रमुख विषय-वस्तु

बजट विशेषांक

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAMME 2020

OUR EMINENT PANELISTS

Mr. S.Y QURAISHI
Ex. CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Mr .VIVEK KATJU
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. SHASHANK
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. N.C. SAXENA
Ex. SECRETARY, GOVT. OF INDIA

Mr. NOOR MOHAMMED
IAS TOPPER 77 BATCH
Ex. ELECTION COMMISSIONER
Ex. VICE CHANCELLOR (AMU)

Mrs. MEERA SHANKER
FORMER AMBASSADOR

Mr. MANJEET SINGH
RETD. IAS
Ex. SECRETARY FINANCE, HOME

Mr. AJAY SHANKER
RETD. IAS

Mr. VIKRAM SINGH
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. VIBHUTI NARAIN RAI
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. S.K. MISRA
RETD. IRS, Ex. MEMBER REVENUE BOARD

Mr. A.H.K GHAURI
Ex. GOVERNANCE ADVISOR, BRITISH HIGH COMMISSION

Mr. C. UDAY BHASKAR
DEFENCE & STRATEGIC ANALYST

Mr. QAMAR AGHA
WIDELY ACCLAIMED SR. JOURNALIST

PROF. ARUN KUMAR
ECONOMIST

PROF. C.K. VARSHNEY
FORMER DEAN OF SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (JNU)

STARTING FROM 1ST FEB 2020

Salient Features:

5 Members Board Mock Videos

Content Booklets: Current Affairs, Questionnaire, Hobbies, Different States

PRIOR REGISTRATION IS MANDATORY 011-49274400

25B, 2nd Floor, Metro Pillar No. 117, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, New Delhi
A 12, 13, 201 2nd Floor, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Send your DAF to dhyeyaonline@dhyeyaias.com

9205274744 / 9205274743

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

फरवरी-2020 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

1. केन्द्रीय बजट 2020-21: एक नजर में 01-03
2. बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय 04-06
3. वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2020-21 07-10
4. मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना 11-15
5. निर्गम परिणाम रूपरेखा 2020-21 16-16
6. केन्द्रीय बजट 2020-21 की प्रमुख विषय-वस्तु 17-28
7. सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 29-32

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

1. केन्द्रीय बजट 2020–21 : एक नजर में

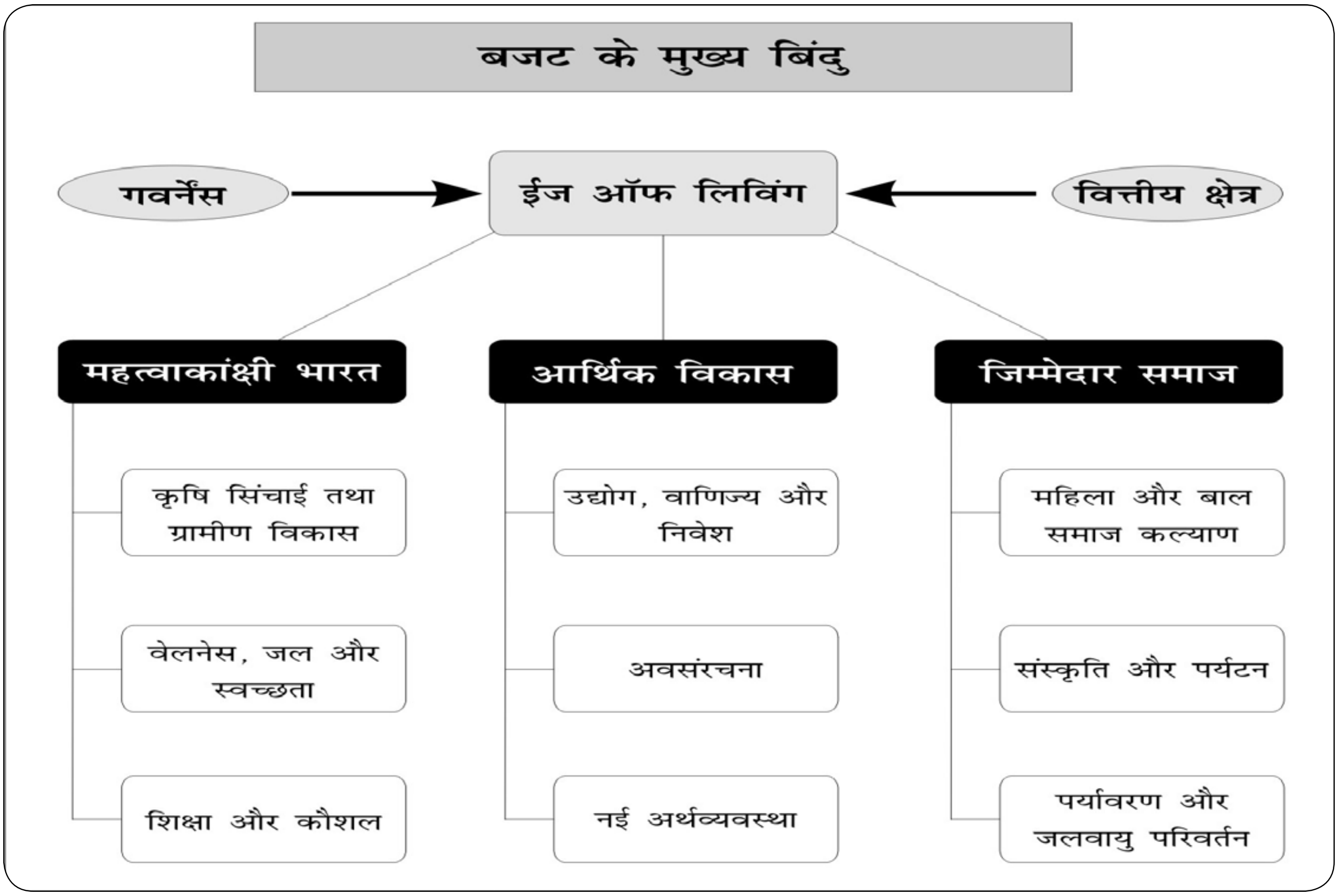

गवर्नेंस

संरचनात्मक सुधार

आईबीसी

कंपनियों के लिए आईबीसी के माध्यम से सम्मानजनक निकासी

जीएसटी

- ट्रकों के लिए टर्न अरांउड समय में 20 प्रतिशत की कटौती
- माध्यम से सम्मानजनक निकासी
- वर्धित उच्चतम सीमा और समिश्र सीमा के माध्यम से एमएसएमई को लाभ
- औसत परिवार के लिए मासिक व्यय में लगभग 4 प्रतिशत की बचत
- पिछले दो वर्षों में 60 लाख नए करदाता शामिल किए गए और 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए

डिजिटल क्रांति

डीबीटी अपनाना

- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए

अगला कदम

- डिजिटल गवर्नेंस
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार
- आपदा समुत्थान
- पेंशन और बीमा अभिगम्यता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

समावेशी विकास

- निम्नलिखित पर फोकस करते हुए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" से प्रेरित गवर्नेंस:
  - निवारात्मक स्वास्थ्य देखभालः स्वच्छता और जल
  - स्वास्थ्य देखभालः आयुष्मान भारत
  - स्वच्छ ऊर्जाः उज्जवला और सौर ऊर्जा
  - वित्तीय समावेशन क्रेडिट सहायता और पेंशन
  - किफायती आवासन
  - डिजिटल अभिगम्यता

वित्तीय क्षेत्र

- जमा बीमा कवरेज को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रु. करना
- सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली हेतु एनबीएफसी के लिए पात्रता सीमा को घटाकर 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार या 50 लाख रु. का ऋण आकार करने का प्रस्ताव
- आईडीबीआई बैंक में सरकार की शेयर धारिता को बेचने का प्रस्ताव
- सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीएआई से अलग करना

- सरकारी प्रतिभूतियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को गैर-निवासी निवेशकों के लिए खोला जाएगा
- कार्पोरेट बांड की एफपीआई सीमा को बढ़ाकर 15% करना
- नए ऋण ईटीएफ मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रस्तावित

वर्ष 2020–21 का आम बजट 'ईज ऑफ लिविंग' अर्थात आसान जिंदगी की समग्रता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 2020–21 के लिए 15 करोड़ के कृषि साख का लक्ष्य रखा गया है और किसान हितैषी योजनाएं जैसे 'किसान रेल', 'कृषि उड़ान' आदि का प्रावधान है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकार ने 20,000 अस्पतालों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है वहीं जन औषधि केन्द्रों का 2024 तक सभी जिलों तक और 2000 से अधिक दवाओं की पहुँच को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है।

अवसंरचना के क्षेत्र में 2024 तक 100 नये वायु पत्तनों के निर्माण, पीपीपी मोड दर 150 नई यात्री रेलगाड़ियों को चलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च, 2021 तक 150 उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी एक प्रमुख आकर्षण है।

केन्द्रीय बजट 2020–21 के उद्देश्य

- डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना।
- आपदा न्यूनीकरण के माध्यम से जोखिम शमन।
- पेंशन और बीमा की पहुँच बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

बजट की थीम

यह बजट तीन महत्वपूर्ण थीमों पर आधारित है–

- **महत्वाकांक्षी भारतः** भारत में समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुँच और रोजगार के बेहतर अवसर हों, ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके।
- **सभी के लिए आर्थिक विकासः** 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'।
- **जिम्मेदार समाजः** मानवीय और सहृदय, अन्त्योदय, आस्था का आधार।
- इन तीन बड़ी थीमों का एक साथ धरातल पर लाने के लिए आवश्यक है कि:
  - शासन, भ्रष्टाचार मुक्त नीति निर्देशित और सक्षम हो।
  - साफ-सुथरा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र हो।

❍❍❍

2. बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

बजट दस्तावेज

वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों की सूची, निम्नानुसार है:

(क) वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

(ख) अनुदान-मांगें (डीजी)

(ग) वित्त विधेयक

(घ) एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण:

(i) वृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण

(ii) मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

(ङ) व्यय बजट

(च) प्राप्ति बजट

(छ) बजट एक नजर में

(ज) वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(झ) उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(ञ) बजट 2020-2021 की मुख्य विशेषताएँ

क्रम संख्या क, ख, ग के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि क्रम संख्या घ (i) और (ii) के समक्ष दर्शित दस्तावेज राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रम संख्या ङ, च, छ ज, झ, और ञ पर अन्य दस्तावेज व्याख्यात्मक विवरणों के स्वरूप के हैं जो त्वरित अथवा प्रासंगिक संदर्भों हेतु प्रयोक्ता-अनुकूल फार्मेट में वर्णनात्मक होते हुए अधिदेशित दस्तावेजों के सहायक हैं। "उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा" विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए उनके सामने मापनीय संसूचकों और वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्पादन और परिणामों के साथ होगा।

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) अनुच्छेद 112 के तहत यथा प्रदत्त एक दस्तावेज है जिसमें वर्ष 2019-20 के अनुमानों तथा साथ ही वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों तथा संवितरणों को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकार के लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (ii) भारत की संचित निधि, (ii) भारत की आकस्मिकता निधि, और (III) लोक लेखा। वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य लेखाओं के व्यय से पृथक रखा जाता है जैसाकि भारत के संविधान में अधिदेशित है। राजस्व और पूंजी भाग मिलाकर संघ सरकार का बजट बनता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान, वापसियों और वसूलियों को घटाकर निवल व्यय के लिए है।

ख. अनुदान-मांगें

संविधान के अनुच्छेद 113 में अधिदेशित है कि वार्षिक विवरण में सम्मिलित भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तथा लोक सभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदान-मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान-मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। साधारणतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, किसी मंत्रालय या विभाग की एक से अधिक मांगें व्यय के स्वरूप के आधार पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2020-21 में 101 अनुदान-मांगें हैं। प्रत्येक मांग में (I) 'स्वीकृत' और 'भारित' व्यय (II) 'राजस्व' और 'पूंजी' व्यय और (III) व्यय की कुल राशि जिसके लिए मांग प्रस्तुत की जाती है, के सकल आधार पर जोड़ दिखाए जाते हैं।

ग. वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, संविधान के अनुच्छेद 110(1) (क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने, उनके रद्दोबदल अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

घ. एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित वितरण

(i) वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण

वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केन्द्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं।

(ii) मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बाजार मूल्यों पर छह विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा (ii) राजस्व घाटा (iii) प्राथमिक घाटा (iv) कर राजस्व (v) कर-भिन्न राजस्व और (vi) केन्द्र सरकार का ऋण। इस विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और अर्जक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूँजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल

केंद्र सरकार का व्यय

आम बजट 2020-21

2020-21 के लिए बजट अनुमान (₹ करोड़ में)

मद	राशि	मद	राशि
पेंशन	2,10,682	ब्याज	7,08,203
रक्षा	3,23,053	आईटी और दूरसंचार	59,349
प्रमुख सब्सिडी	2,27,794	योजना एवं सांख्यिकी	6,094
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,54,775	ग्रामीण विकास	1,44,817
		वैज्ञानिक विभाग	30023
वाणिज्य और उद्योग	27,227	सामाजिक कल्याण	53,876
पूर्वोत्तर का विकास	3,049	कर प्रशासन	1,52,962
शिक्षा	99,312	राज्यों को अंतरण	2,00,447
ऊर्जा	42,725	परिवहन	1,69,637
विदेश मामले	17,347	संघ राज्य क्षेत्र	52,864
वित्त	41,829	शहरी विकास	50,040
स्वास्थ्य	67,484	अन्य	84,256
गृह	1,14,387	**कुल जोड़**	**30,42,230**

किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी दी जाती है।

ङ. व्यय बजट

व्यय बजट खंड में, किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया जाता है और राजस्व एवं पूंजी द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया जाता है। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यथा (i) केन्द्र के व्यय और (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण। केन्द्र के व्यय श्रेणी के अंतर्गत 3 उप-वर्गीकरण किया जाता है (क) केन्द्र का स्थापना व्यय (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें तथा (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तथा स्वायत्त निकायों पर व्यय सहित अन्य केन्द्रीय व्यय।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण की श्रेणी में निम्नलिखित 3 उप-वर्गीकरण सम्मिलित हैं:

(क) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम

(ख) वित्त आयोग अंतरण

(ग) राज्यों को अन्य अंतरण

च. प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्राप्तियों के अनुमानों का 'प्राप्ति बजट' प्रलेख में पुनः विश्लेषण किया जाता है। इस प्रलेख में कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा होता है और यह अनुमानों को स्पष्ट करता है। इस प्रलेख में, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2004 के तहत यथा अधिदेशित कर राजस्वों और कर-भिन्न राजस्वों की बकाया राशियों का उल्लेख भी किया जाता है। प्राप्ति बजट में घाटे के संकेतकों सहित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से संबंधित विवरणी, देयता विवरणी, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों से सम्बन्धित विवरण, परिसम्पत्ति विवरणी और विदेशी सहायता के ब्यौरे भी शामिल होते हैं। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के प्रभाव का विवरण भी शामिल है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को सूचीबद्ध करने के प्रयास किया जाता है। यह दस्तावेज विगत में तेल और उर्वरकों की सब्सिडी के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों (बंध पत्रों) के कारण सरकार की देयताओं को भी दर्शाता है। इसे पहले 'परित्यक्त राजस्वों का विवरण' कहा जाता था और 2015-16 में पृथक विवरण के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसे 2016-17 से बजट प्राप्तियों में आमेलित किया गया है।

प्रमुख आंकड़े

आम बजट 2020-21

(₹ करोड़ में)

	2018-19 वास्तविक	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 संशोधित अनुमान	2020-21 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	15,52,916	19,62,761	18,50,101	**20,20,926**
पूंजी प्राप्तियां	7,62,197	8,23,588	8,48,451	**10,21,304**
कुल प्राप्तियां	23,15,113	27,86,349	26,98,552	**30,42,230**
कुल व्यय	23,15,113	27,86,349	26,98,552	**30,42,230**
राजस्व घाटा	4,54,483	4,85,019	4,99,544	**6,09,219**
प्रभावी राजस्व घाटा	2,62,702	2,77,686	3,07,807	**4,02,719**
राजकोषीय घाटा	6,49,418	7,03,760	7,66,846	**7,96,337**
प्राथमिक घाटा	66,770	43,289	1,41,741	**88,134**

छ. बजट एक नजर में

इस दस्तावेज में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और खर्चो का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है। इस पुस्तक में केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा और सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है।

ज. वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त विधेयक में निहित कराधान संबंधी प्रस्ताव आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए वित्त विधेयक के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक दस्तावेज में उपबंधों और उनके निहितार्थो की व्याख्या दी जाती है।

झ. उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित (सीएसएस) ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक के वित्तीय परिव्यय वाली दोनों स्कीमों के लिए उत्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) सहित परिणाम बजट सदन में 2020-2024 के बजट के साथ पेश किया जाएगा। ₹500 करोड़ से कम परिव्यय वाली सीएस और सीएसएस, दोनों स्कीमों के संबंध में, स्कीमों पर हुए व्यय का अलग-अलग उल्लेख करके उत्पादन- परिणाम निगरानी रूपरेखा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार की जाएगी और यह अनुदानों की विस्तृत मांगों (डीडीजी) के साथ संसद में प्रस्तुत की जाएगी।

ञ. बजट 2020-2021 की मुख्य विशेषताएं

यह दस्तावेज सरकार के आर्थिक विजन तथा वृद्धि और कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के महत्व वाले क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत पहलों का आशुचित्र (स्नैपशॉट) सारांश है। राजकोषीय समेकन तथा सरकारी वित्त के प्रबंधन के साथ-साथ इस दस्तावेज में राजकोषीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख बजट प्रस्तावों का विहंगम दृश्य भी शामिल किया जाता है।

❍❍❍

३. वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2020–21

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

घरेलू वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक अड़चनों और चुनौतियों के कारण 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कमतर रही। 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 5.0 प्रतिशत रही। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में अस्थायी गिरावट के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत बने रहे और 2020-21 की पहली तिमाही से जीडीपी में पुन: वृद्धि होने की आशा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास बढ़ा जैसा कि दिसम्बर 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बढ़ते अंतर्वाह और 157.5 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा भंडार के संचयन से परिलक्षित होता है।

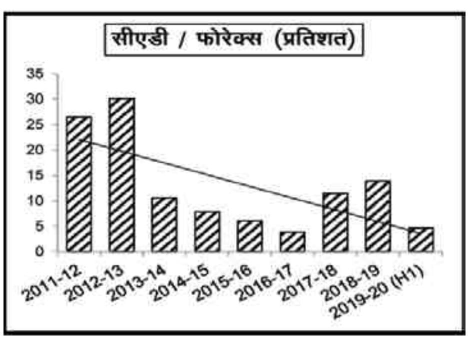

2019 में वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान 11 स्थान ऊपर उठकर 63वें स्थान पर है। इससे, अन्य के साथ-साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास बढ़ाने में योगदान मिला है।

चालू वर्ष और पिछले कुछ वर्षो में उच्च जीडीपी वृद्धि एवं महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा/कार्यान्वयन के बल पर भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

वर्ष 2019-20 में घोषित/कार्यान्वित उपायों में 2019-20 के लिए कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि; कारपोरेट कर दर में कटौती की गई है। वस्त्र और हस्तशिल्प एवं विद्युतचालित वाहनों के विकास के लिए नीतिगत पहलें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का विकास तथा उनको सुसाध्य बनाने हेतु आउटरीच कार्यक्रम; भारत में स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन; सरकारी बैंकों का पुन:पूंजीकरण, किफायती (वहनीय) आवासों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार के दिशानिर्देशों में ढील देना; सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों का चार कंपनियों में विलय; और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर बहुत से श्रम कानूनों को दुरुस्त करना शामिल है। इसके अलावा, विनिर्माण बढ़ाने; रोजगार सृजन; वित्तीय समावेशन; डिजीटल भुगतान; मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी स्कीमों के जरिए व्यवसाय करना आसान बनाने में सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए थे। सरकार ने ₹ 102 लाख करोड़ मूल्य की राष्ट्रीय अवसरंचना पाइपलाइन की परियोजनाओं की भी घोषणा की है जो चरणबद्ध तरीके से 2020-21 से 2024-25 तक शुरू होगी।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

- वार्षिक राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत के अनंतिम अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 (वार्षिक अनुमान) में जीवीए वृद्धि में इस कमी का कारण लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं के सिवाय आपूर्ति के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है।

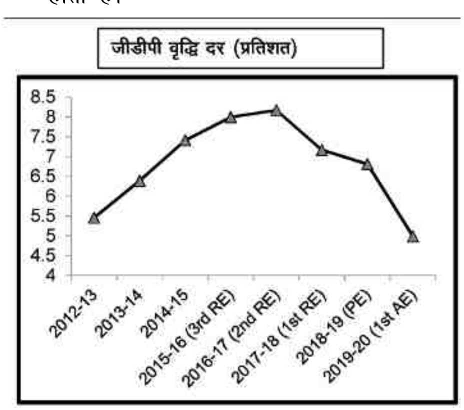

कृषि

- वर्ष 2018-19 में, चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में वर्ष 2017-18 की तरह ही 285 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान था। तथापि, पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन 19.2 मिलियन टन अधिक था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1020.2 मिलियन टन अनुमानित था जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह 99.9 मिलियन टन था। सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाया है।
- भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना हुआ है। वर्ष 2018-19 में देश में दुग्ध उत्पादन 187.7 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक है। देश में अंडा उत्पादन भी 2017-18 में 95217 मिलियन से बढ़कर 2018-19 में 103318 मिलियन हो गया है। भारत में मत्स्य उत्पादन में हालिया वर्षो में 7 प्रतिशत से अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। देश में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल मत्स्य उत्पादन 13.4 मिलियन टन रहा। इसमें, समुद्री मत्स्य क्षेत्र का हिस्सा 3.7 मिलियन मीट्रिक टन था और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र का हिस्सा 9.7 मिलियन मीट्रिक टन था।
- 2019-20 में 30 नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कृषि ऋण के अंतर्गत 9,07,813.4 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

कीमतें

- वर्ष 2018-19 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति घटकर 3.4 प्रतिशत पर आ गई जो वर्ष 2017-18 में 3.6 प्रतिशत और 2016-17 में 4.5 प्रतिशत थी।

- वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारिति खाद्य मुद्रा स्फीति गिर कर 0.1 प्रतिशत रह गई थी जोकि वर्ष 2017-18 में 1.8 प्रतिशत और 2016-7 में 4.2 प्रतिशत थी।

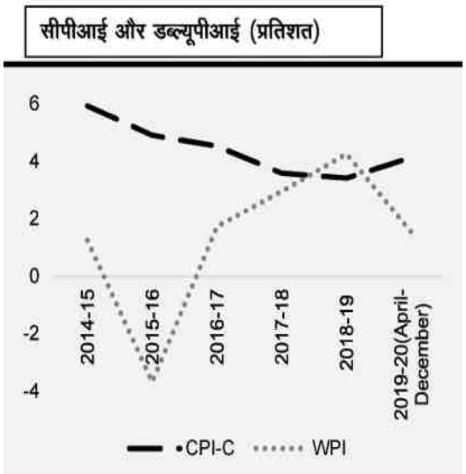

- वर्ष 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार मापी गई मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2017-18 में 3.0 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में यह औसतन 1.5 प्रतिशत थी जबकि दिसम्बर 2019 में यह 2.6 प्रतिशत थी।
- सरकार ने अनिवार्य खाद्य मदों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक को सीमित करना शामिल हैं, इसके अतिरिक्त राज्यों को घरेलू उपलब्धता विनियमित करने और कीमतों को संयत रखने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
- कीमतों को संयत करने की दिशा में कृषि के प्रमुख घटकों में उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके और विभिन्न स्कीमों जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन और तिलहन तथा पाम तेल राष्ट्रीय मिशन आदि के कार्यान्वयन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करती रही है।
- सरकार कृषि-बागवानी की वस्तुओं जैसे दालों, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को कम करने में सहायता के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को भी लागू कर रही है।

उद्योग

- अप्रैल-नवम्बर 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 0.6 प्रतिशत बढ़ा जबकि 2018-19 में यह 3.8 प्रतिशत था। अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान आईआईपी में खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों में क्रमशः (-) 0.1 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत की औद्योगिक उत्पादन सूचकाक में लगभग 40 प्रतिशत की कुल भागीदारी है। अप्रैल-नवम्बर 2019 के दौरान उर्वरकों, इस्पात और विद्युत का उत्पादन क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत रहा जबकि इसी अवधि के दौरान कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरशी उत्पादों और सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 5.3 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 1.1 प्रातिशत और 0.02 प्रतिशत घटा।

विदेशी क्षेत्र

- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान पण्य वस्तु निर्यात (सीमा शुल्क आधारित) 239.3 बिलियन अमरीकी डालर का था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 211.1 बिलियन अमरीकी डालर पर 2.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

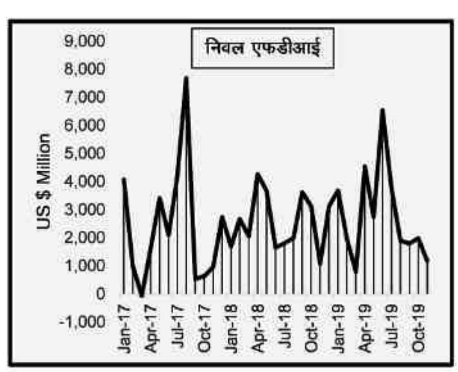

- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान पण्य वस्तु आयात मूल्य 357.4 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि में 392.3 बिलियन अमरीकी डालर से 8.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

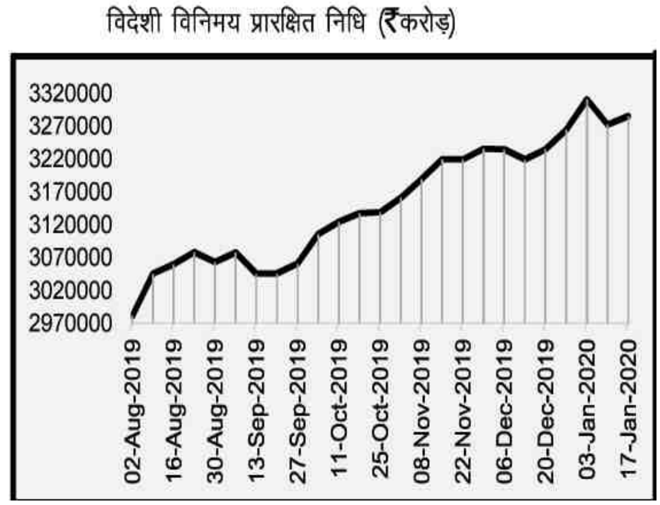

- वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर) में तेल आयात भी 108.5 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में 95.7 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गए। वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर) में पण्य व्यापार घाटा 148.2 बिलियन अमरीकी डालर पर था जो सुधर कर 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में 118.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
- एफडीआई के निवल अंतर्वाह में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में वृद्धि जारी रही जिसके परिणामस्वरूप 21.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 24.4 बिलियन अमरीकी डालर का अर्जन हुआ, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक उपायों में बढ़ते विश्वास के प्रति वैश्विक रुझानों को प्रतिबिंबित करता है।
- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में रुपये की औसत मासिक विनमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) प्राति अमरीकी डालर 70.41 रुपये थी जबकि यही दर 2018-19 के दौरान प्रति अमरीकी डालर 69.92 रुपये थी। सितम्बर अंत 2019 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बना रहा है।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

- वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति समायोजनकारी बनी रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांच बैठकें आयोजित की गई हैं। पहली चार बैठकों में, एमपीसी ने नीतिगत

रेपो दर में कटौती करने का निर्णय लिया था। रेपो दर में 110 आधार बिंदुओं (बीपीएस) की कटौती करके इसे अप्रैल, 2019 में 6.25 प्रतिशत से घटाकर अक्तूबर, 2019 में 5.15 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया था। दिसम्बर, 2019 में अपने पांचवें द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में एमपीसी ने रेपो दर को 5.15 प्रतिशत स्तर पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया था।

- आरक्षित निधि की वृद्धि 27 दिसम्बर 2018 में 17.0 प्रतिशत की तुलना में 27 दिसम्बर 2019 को 10.2 प्रतिशत के स्तर पर थी। आरक्षित निधि में बढ़ोत्तरी परिचालन मुद्रा से प्रेरित थी। स्थूल मुद्रा (एम 3) की वृद्धि में 2009 से गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र

- वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च, 2019 की तुलना में सितम्बर, 2019 में 9.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए भी सितंबर 2019 में 12.3 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित बना रहा जबकि भारग्रस्त अग्रिम अनुपात में बढ़ोत्तरी होकर यह मार्च में 12.7 प्रतिशत के स्तर से सितंबर 2019 में 12.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।
- खाद्य भिन्न ऋण की वृद्धि 22 नवम्बर 2019 को 7.2 प्रतिशत थी जबकि यह 23 नवम्बर, 2018 को 13.8 प्रतिशत थी।
- वैयक्तिक ऋण में 23 नवम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 17.2 प्रतिशत की तुलना में 22 नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

- वर्ष 2017-18 और 2018-19 के पूर्वार्ध में तीव्र वृद्धि करने के पश्चात एनबीएफसी क्षेत्र में तीव्र गिरावट आयी है। एनबीएफसी से लिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि जो सितम्बर, 2018 में 31.9 प्रतिशत और दिसम्बर 208 में 14.6 प्रतिशत थी, वह सितंबर 2019 के अंत में कम होकर 3.4 प्रतिशत रह गई।
- एनबीएफसी के वित्तपोषण स्रोतों में दृष्टिगोचर अंतर आया है। बैंकों से उधारों में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और ये अक्तूबर 2018 में ₹5.62 लाख करोड़ से बढ़कर अक्तूबर, 2019 में ₹7.13 लाख करोड़ हो गए। तथापि, म्यूचुअल फंड द्वारा एनबीएफसी को ऋणों का परिनियोजन अक्तूबर 2018 से संकुचित होता जा रहा है।

सकल बैंक ऋण (₹ करोड़)

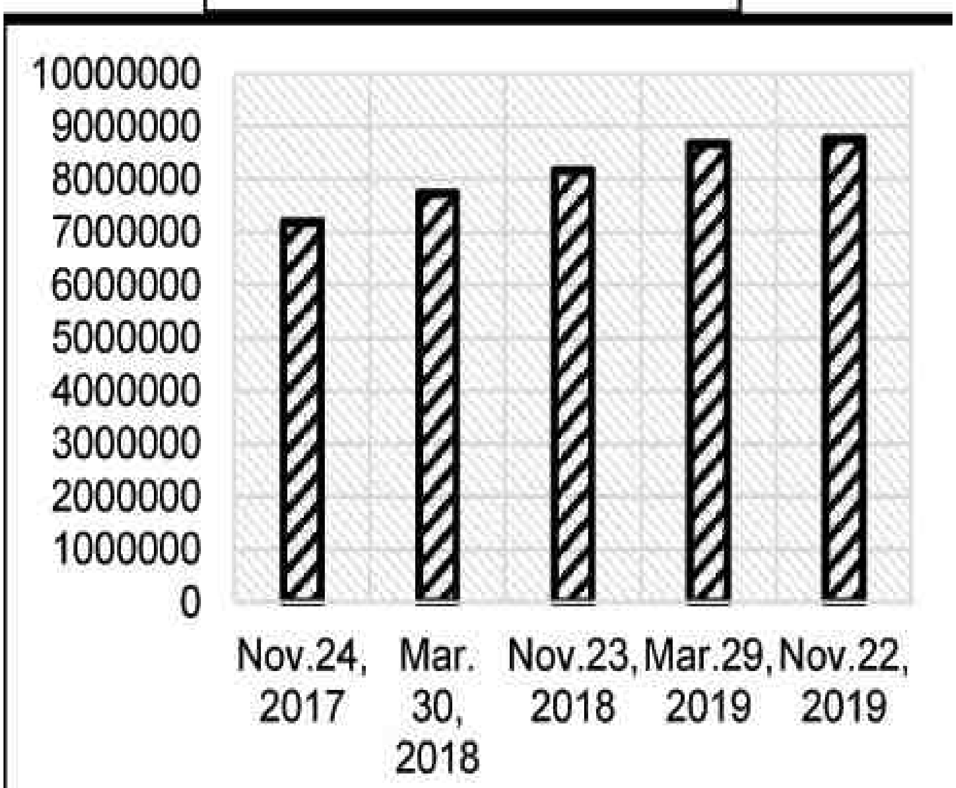

पूंजी बाजार

- भारत के बेंचमार्क सूचकांक, नामत: निफ्टी50 तथा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक, 2019-20 के दौरान लगातार बढ़ते रहे।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क सूचकांक एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स 20 दिसमबर, 2019 को अब तक के उच्चतम समापन स्तर 41,681 पर पहुंच गया, जो 1 अप्रैल, 2019 को 38,871 के स्तर में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 1 अप्रैल, 2019 की तुलना में निफ्टी50 सूचकांक ने 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और 3 जनवरी, 2020 को यह 12,226 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई और निफ्टी50 की 2019-20 (अप्रैल-दिसम्ब) की औसत वार्षिक वृद्धि क्रमश: 8.9 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत हुई थी।

केन्द्रीय सरकार के वित्त

- वर्ष 2019-20 के बजट में राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा क्रमश: सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत एवं 2.3 प्रतिशत आकलित था। बजट अनुमान 2019-20 में कर का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 11.7 प्रतिशत और कुल व्यय का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 13.2 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी।
- 2018-19 के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में सकल कर राजस्व की 9.5 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। बजट अनुमान 2019-20 में कुल व्यय में 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13.4 प्रतिशत तक वृद्धि होने की अपेक्षा थी।
- अप्रैल-नवम्बर, 2019 के लिए लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए केन्द्र सरकार के वित्त से संबंधित आकड़ों के अनुसार, सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान का 47.7 प्रतिशत हो गया।
- अप्रैल-नवम्बर 2018 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 2019 के दौरान महत्वपूर्ण

सब्सिडियों (खाद्य पदार्थ, पोषण आधारित उर्वरक, और यूरिया तथा पेट्रोलियम) में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल- नवम्बर, 2018-19 की तुलना में 2019 के तदनुरूपी अवधि के दौरान यूरिया की सब्सिडी में 52.7 प्रतिशत और पेट्रोलियम की सब्सिडी में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- अप्रैल-नवम्बर 2019 के दौरान, राजस्व घाटा 2019-20 में बजट व्यवस्था की राशि का 114.8 प्रतिशत तक पहुँच गया।
- संशोधित अनुमान में 2019-20 में राजकोषीय और राजस्व घाटा क्रमशः जीडीपी का 3.8 प्रतिशत और जीडीपी का 2.1 प्रतिशत है।

संभावनाएं

- अर्थव्यवस्था में वृद्धि सबसे कम प्रतीत होती है और इसका 2020-21 में बढ़ने का अनुमान है। भावी वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का आकलन करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था की भावी विदेशी बड़ी चुनौतियों में मध्य पूर्व में भौगोलिक-राजनैतिक तनाव और तेल की आपूर्ति में रूकावट के कारण कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि है जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीमी पड़ सकती है और मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। निवेश एवं बचत को पुनः प्रवर्तित करना घरेलू चुनौतियों में से एक है। संरचनात्मक सुधारों का जारी रहना अर्थव्यवस्था की सकारात्मक संभावनाओं में से एक है जिससे वृद्धि पुनः प्रवर्तित एवं नकदी प्रवाह अपेक्षित रूप से सामान्य होगा क्योंकि मौद्रिक नीति समिति द्वारा पिछली बार कार्यान्वित कार्पोरेट कर दर में कटौती और रेपो रेट में कटौती के अनुमानित संप्रेषण के फलस्वरूप निवेश में वृद्धि होगी। 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होने की संभावना है और इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने में मदद मिल सकती है। आर्थिक उछाल के सकारात्मक पहलु को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में कम-से-कम 10 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

❍❍❍

4. मध्यावधिक राजकोषीय नीति–सह–राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना

एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य सरकार के राजकोषीय प्रचालनों के मार्गदर्शक हैं और राजकोषीय घाटा लक्ष्य मध्यावधि में हासिल किए जाने की संभावना है। वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटा घटकर 3.1 प्रतिशत रहने की आशा है।

निवेश को सुनिश्चित करने के लिए निगम कर को घटाकर लगभग ₹ 1 लाख करोड़ (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय लक्ष्य को क्रमश: 3.8 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर रखते समय राजस्व व्यय को पूरा करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर बजट अनुमान (ब.अ.) 2020-21 में उचित संतुलन रखा गया है।

राजस्व प्राप्तियों के बारे में मध्यावधिक संभावनाएं

- पिछले वर्षों के मुकाबले सकल कर राजस्व वर्ष 2021-22 में 12.3 प्रतिशत और 2022-23 में 12.6 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का अनुमान है।
- वर्ष 2019-20 में निगम कर में कटौती के कारण प्रत्यक्ष करों में वृद्धि मंद रही है। जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि क्रमश: 13.6 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत होने की आशा है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि दर 10.7 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत मामूली रूप से संयत होने की आशा है।

संशोधित अनुमान (सं.अ.) 2019-20 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजट व्यवस्था स्तर की तुलना में सं.अ. 2019-20 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.8 प्रतिशत है। मुख्य रूप से जीएसटी के अनुमान से कम संग्रहण और निगम कर दरों में कमी के कारण सकल कर राजस्व अनुमानों में कमी रही है।

मुख्य रूप से निम्नतर विनिवेश प्राप्तियों के कारण, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां ब.अ. 2019-20 की तुलना में ₹38,224 करोड़ तक घटने का अनुमान है। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान ₹84,604 करोड़ रखा गया है। राजकोषीय घाटे का संपूर्ण मूल्य सं.अ. में संशोधित करके ₹7,66,848 करोड़ कर दिया गया है जो ब.अ. 2019-20 की तुलना में ₹63,087 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

- सं.अ. 2019-20 में, कुल व्यय ₹26,98,552 करोड़ का अनुमान लगाया गया है जो ब.अ. 2019-20 से ₹ 87,797 करोड़ की कमी दर्शाता है।

बजट अनुमान (ब.अ.) 2020-21 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

- वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत होने की आशा है।, इसका कारण सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधार उपाय हैं। ब.अ 2020-21 में जीटीआर हेतु ₹24,23,020 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है जो संअ. 2019-20 की तुलना में ₹2,59,597 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में ब.अ. 2020-21 में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रत्यक्ष कर ₹13,19,000 करोड़ तक पहुंचने की आशा है।
- ब.अ. 2020-21 में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए ₹2,24,967 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जो सं.अ. 2019-20 के मुकाबले ₹1,43,363 करोड़ की वृद्धि दर्शाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से विनिवेश प्राप्तियों में ₹90,000 करोड़ की राशि की

क्र.सं.	राजकोषीय संकेतक	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21	2021-22	2022-23
1.	राजकोषीय घाटा	3.8	3.7	3.3	3.1
2.	राजस्व घाटा	2.4	2.7	2.3	1.9
3.	प्राथमिक घाटा	0.7	0.4	0.2	0.0
4.	सकल कर राजस्व	10.6	10.8	10.7	10.7
5.	कर-भिन्न राजस्व	1.7	1.7	1.5	1.5
6.	केन्द्रीय सरकार का ऋण	50.3	50.1	48.0	45.5
7.	जिसमें से ईबीआर के कारण देयताएं	0.7	0.8	0.9	0.9

व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020-21 में कुल निवल उधार ₹ 7,96,337 करोड़ संभावित है जबकि सं.अ. 2019-20 में यह राशि ₹ 7,66,848 करोड़ थी।

- वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹30,42,230 करोड़ पर नियत किया गया है जो सं.अ. 2019-20 के मुकाबले ₹3,43,678 करोड़ (12.7 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी है। ब.अ. 2020-21 में राजस्व व्यय ₹ 26,30,145 करोड़ होने का अनुमान है जो वर्षानुवर्ष 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- पूंजीगत व्यय ₹ 4,12,085 करोड़ तक बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 1.8 प्रतिशत होने की आशा है।

राजकोषीय संकेतकों में अंतर्निहित अनुमान

राजस्व प्राप्तियां

कर-राजस्व

- सं.अ. 2019-20 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ 21,63,423 करोड़ नियत किया गया है जो ब.अ. 2019-20 से ₹2,97,772 करोड़ की कमी दर्शाता है। इस कमी का कारण निगम कर में कटौतियां हैं।

कर प्रस्ताव

- विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कारपोरेट कर दर
- विदेशी सरकारों तथा अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए कर रियायत
- स्टार्ट-अप को उनके लाभों की 100 प्रतिशत कटौती करके दिए जाने वाले कर लाभों को कुल कारोबार की सीमा और पात्रता की अवधि में वृद्धि करके बढ़ाया
- सहकारी संस्थाओं के लिए रियायती कर दर का प्रस्ताव
- किफायती आवास के लिए कर लाभों से संबंधित समय-सीमा को बढ़ाना
- आसान कर अनुपालन के लिए सभी धर्मार्थ संस्थाओं को विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करना।
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर लगाना क्योंकि भारत में ये उपकरण काफी मात्रा में बनाए जाते हैं।

लाभांश संवितरण कर हटाया गया और लाभांश कराधान की क्लासिकल प्रणाली को अपनाया गया

पुरानी प्रणाली के विकल्प के रूप में सरलीकृत और नई कर प्रणाली

आय लाख में	5 से कम	5-7.5	7.5-10	10-12.5	12.5-15	15 से अधिक
कर दर (प्रतिशत)	छूट	10	15	20	25	30

अप्रैल से सरलीकृत जीएसटी विवरण को क्रियान्वित किया जाएगा। धन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित होगी।

- ब.अ. 2020-21 के लिए, सकल कर राजस्व ₹ 24,23,020 करोड़ होने की आशा है जो जीडीपी का 10.8 प्रतिशत बैठता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वर्षानुवर्ष क्रमशः 4 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। मध्यावधि में, सकल कर राजस्व पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 12.6 प्रतिशत तक पहुंचने से पूर्व वर्ष 2021-22 में बढ़कर क्रमशः 12.3 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है।
- ब.अ. 2020-21 में प्रत्यक्ष कर को भी संशोधित करके ₹ 13,19,000 करोड़ कर दिया गया है जबकि अप्रत्यक्ष कर हेतु ₹ 10,99, 520 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जो, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत बैठती है।
- वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण जीडीपी का 6 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्वों के अनुमानों की गणना निम्नलिखित संभावनाओं के साथ की गई है।
  - कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, कारपोरेट कर दरों में कटौती, कतिपय परिस्थितियों में बढ़े हुए अधिभार वापस लिए जाने और न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दरों में कटौती सहित अनेक राहत उपायों की व्यवस्था की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45 लाख करोड़ प्रतिवर्ष की अनुमानित राजस्व हानि हुई। इन राहत उपायों के प्रभाव को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सं.अ. में ध्यान में रखा गया है।
  - आयकर अधिनियम, 1961 में कर दर या स्लैबों अथवा किसी भी कर उपबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
- वर्ष 2021-22 और 2022-23 में राज्यों को कर अंतरण 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, जो उनकी अंतिम रिपोर्ट में प्रकाशित की जाएगी, द्वारा शासित किया जाएगा। संभावित अवधि में कर राजस्व के 20 केन्द्रीय हिस्से की गणना करने के लिए 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अंतरण फार्मूले का उपयोग किया जाएगा।
- अप्रत्यक्ष कर वर्ष 2020-21 में 11.1 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 10.7 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 11.1 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है। इनसे संभावित वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष कर नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए, केन्द्रीय जीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उप-कर में संबंधित वर्षों की मामूली जीडीपी वृद्धि दरों के संदर्भ में 1.0 प्रातिशत की उछाल आने की आशा है।
- सीमा शुल्क के संबंध में प्रत्येक संभावित वर्ष के लिए कर में 0.9 प्रतिशत की दर पर उछाल आने का अनुमान लगाया गया है।

कर-भिन्न राजस्व

- कर भिन्न राजस्व (एनटीआर) प्राप्तियां, सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्ष 2018-19 में, वे कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 15.2 प्रतिशत थीं। कर-भिन्न राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश, मुख्य रूप से राज्यों से ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त प्राप्तियां, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभार और लगाए गए शुल्क शामिल हैं।
- सं.अ. 2019-20 में, कर भिन्न राजस्व के तहत प्राप्तियां बढ़कर ₹ 3,45,513 करोड़ होने की आशा है जो जीडीपी का 1.7 प्रतिशत बैठती हैं। वर्ष 2020-21 में, यह ₹ 3,85,017 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 दोनों में कर भिन्न राजस्व लगभग 1.5 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत होने की आशा है।

राज्यों को अंतरण- वित्त आयोग

- संविधान के अनुच्छेद 280 के दृष्टिगत 15वें वित्त आयोग का 27 नवम्बर 2017 को गठन किया गया था। वर्ष 2019 में, आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया

गया था। प्रथम रिपोर्ट, जो राष्ट्रपति के समक्ष 5 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत की गई थी, में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों का प्रावधान है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर, 2020 में प्रस्तुत करेगा जिसमें 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सिफारिश होगी।

- वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच कर की निवल आय के वितरण के संबंध में सिफारिश करता है। इन निवल आयों, जिनसे करों का विभाज्य पूल बनता है, का वितरण केन्द्र और राज्यों के बीच उर्ध्वाधर अंतरण कहलाता है। आयोग ने राज्यों के लिए केन्द्रीय करों की निवल आयों (विभाज्य पूल) के 41 प्रतिशत समग्र हिस्से की सिफारिश की है जबकि 14वें वित्त आयोग ने 42 प्रतिशत की सिफारिश की थी। राज्यों को एक प्रतिशत अंतरण की कमी का आशय केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा और अन्य विशेष आवश्यकताओं हेतु व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाना है।
- सं.अ. 2019-20 में राज्यों को अंतरण 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जबकि ब.अ. 2019-20 के लिए राज्यों को अंतरण 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के आधार पर है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, सिफारिशें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। प्रथम रिपोर्ट में कर अंतरण के प्रतिशत से संबंधित सिफारिशों का उपयोग संभावित वर्षों में कर अंतरण की गणना करने के लिए किया गया है।

पूंजी प्राप्तियां

ऋणों की वसूली

- ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के दो मुख्य घटक होते हैं- ऋणों की वसूली और अग्रिम तथा विनिवेश प्राप्तियां। सं.अ. 2019-20 में ऋणों की वसूली का लक्ष्य ₹ 16,604 करोड़ रखा गया है तथा वर्ष 2020-24 में ₹ 14,967 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

- विनिवेश प्राप्तियां सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विक्रय से सरकार को प्राप्त होती हैं। इनमें सामरिक आस्तियों का विक्रय भी शामिल है। सं.अ. 2019-20 में विनिवेश प्राप्तियों को संशोधित करके ₹ 65,000 करोड़ कर दिया गया है। ब.अ. 2020-21 के लिए, विनिवेश प्राप्तियों हेतु ₹ 2,10,000 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की बिक्री से प्राप्त ₹ 90,000 करोड़ की राशि शामिल है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में, विनिवेश प्राप्तियां बढ़ने की आशा है।

उधार सरकारी ऋण और अन्य देयताएं

- वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों जिनमें खरीद वापसी/शामिल नहीं है, के जरिए लिए गए सकल और निवल बाजार उधार हेतु क्रमशः ₹ 7,10,000 करोड़ ₹ 4,73,972 करोड़ बैठते थे।
- वर्ष 2019-20 में सकल राजकोषीय घाटे के (ब.अ.) 60.12 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधारों हेतु बजटीय व्यवस्था की गई थी।
- प्रथम छमाही (एच1) के लिए बाजार उधार वित्त वर्ष 2019-20 के सकल बाजार उधार का लगभग 62.25 प्रतिशत (₹ 4,42,000 करोड़ पर) रखे गए थे। दूसरी छमाही में, बाजार उधार ₹ 2,68,000 करोड़ रखे गए थे जो बजटीय व्यवस्था के सकल बाजार उधार के 37.75 प्रतिशत बैठते हैं।
- वर्ष 2019-20 के दौरान सावरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी) स्कीम की 10 शृंखलाओं में से 7 पूरी हो चुकी हैं। (27 दिसंबर, 2019 तक), जिनमें ₹ 1618.84 करोड़ रुपये की कुल धनराशि का 4445.7 किग्रा. सोने का अभिदान प्राप्त हुआ।
- राजकोषीय वर्ष 2019-20 (27 दिसंबर 2019 तक) में रुपये दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष में 14.73 वर्षों की तुलना में 16.07 वर्ष थी। प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत आय पिछले वर्ष में 7.77 प्रतिशत से कम होकर राजकोषीय वर्ष 2049-20 के दौरान 6.86 प्रतिशत हो गई, जो कम आय वाली स्थिति को दर्शाता है।
- केन्द्र सरकार की समग्र देनदारियों में से, मार्च 2049 के अंत तक लगभग 94.1 प्रतिशत देनदारियां घरेलू हैं और 5.9 प्रतिशत विदेशी किया गया है। इसका कारण मुख्य रूप से राजकोषीय घाटे को सं.अ. 2019-20 में जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर अनुमत करना है।
- मध्यावधि में आशा है कि उधार कम होंगे और राजस्व संग्रहण बढ़ेगा। सरकारी घाटा कम होने से निजी निवेश और पूंजी अंतर्वाह पहले से अधिक होगा। मुद्रास्फीति के कम रहने से भी भारत सरकार के नए उधारों की लागत में कटौती लाते हुए सरकार को मध्यावधि में लाभ होगा, जिसके फलस्वरूप ब्याज भुगतानों में कमी आएगी।

राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन

अप्रत्यक्ष कर नीति

सीमा शुल्क

- विनिर्माण के लिए उद्योगों में प्रयुक्त इनपुट्स/अंतरमध्यवर्ती उत्पादों (औद्योगिक रसायनों, अयस्कों और सांद्रणो, ईंधनों, वस्त्र और धागों

आदि) पर बुनियादी सीमा शुल्क सामान्यतः दरें शून्य, 2.5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत हैं।

- उपभोग की तैयार वस्तुओं अर्थात कागज और कागज निर्मित उत्पादों, मार्बल स्लैबों, आटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि जैसी वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगता है।
- देश के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बलों द्वारा आयात किए गए विशिष्ट रक्षा उपस्कर और इनके भागों को आम बजट 2019-20 में बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से छूट दी गई है।
- सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरुप आम बजट 2019-20 में कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क को बढ़ाया गया है ताकि सभी को समान अवसर, बेहतर क्षमता उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और आयात के विकल्प प्राप्त किए जा सकें। कुछ वस्तुओं जैसे विशिष्ट इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक/टेलीकॉम उपस्कर और हार्डवेयर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलोन की विशिष्ट वस्तुएं, एचडीपीई और प्लास्टिक, स्टनेलेस आदि पर सीमा-शुल्क बढ़ाया गया था। पाम स्टीरियन और वसायुक्त तेलों को अंतिम रूप से प्रयुक्त के आधार पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है।
- निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए ईआई लैदर (चमड़े) पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है और हाइड्स स्किन और लेदर (टैन्ड और अनटैन्ड सभी प्रकार के) पर निर्यात शुल्क घटाया गया है।
- इसके अलावा, राजस्व संवर्धन की कवायद के रूप में, सभी कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी प्लेटिनम, कीमती धातु पर सीमा शुल्क की दरों को 2.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।.)

प्रत्यक्ष कर नीति

कर आधार के विस्तार के लिए विधायी उपायों को प्रशासनिक उपायों के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि करों की चोरी और कर आधार के अपरदन को रोका जा सके। अनुपालन में सुधार लाने, करदाताओं की सेवाओं को कारगर बनाने, आंतरिक व्यवसय की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और राजस्व के संवर्द्धन के लिएआय कर प्रशासन के संबंध में अनेक प्रशासनिक और प्रौद्योगिकिय पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं-

- कर प्रशासन में और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आय कर की इलैक्ट्रिक मोड में बिना किसी मानव हस्तक्षेप वाली ई-निर्धारण स्कीम प्रारंभ की है।
- **विवरणी को समय-पूर्व दर्ज करना:** व्यष्टियों के लिए अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से, 2 करोड़ से अधिक वेतनभोगी करदाताओं को आयकर विवरणी (आईटीआर) समय-पूर्व करने का प्रावधान किया गया है।
- **आधार यूआईडीएआई के साथ पैन का एकीकरण (आधार के साथ पैन का जोड़ना):** दोहरे प्रयोजन के लिए आधार के साथ पैन को जोड़ने हेतु यूआईडीएआई के साथ डाटाबेस के एकीकरण का कार्य पहले ही किया जा चुका है। यह किसी भी आवदेक को दूसरा कोई भी पैन जारी करने तथा पहले से ही जारी किया गया पैन कार्ड रखने वाले आवेदक की पहचान करने पर रोक लगता है। 30 नवम्बर 2019 तक व्यक्तियों के कुल 29,65,57,524 पैन आधार डाटाबेस के साथ जोड़े जा चुके हैं जो व्यक्तियों को आवंटित कुल पैन का लगभग 62.43 प्रतिशत है। नवम्बर, 2019 माह के दौरान कुल 51,20,991 पैन को आधार डाटाबेस से प्रमाणित किया जा चुका है। वर्तमान में शेष पैन को आधार से जोड़ने की कार्रवाई जारी है।
- आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए स्थायी खाता (पैन) की भूमिका अब विभाग से आगे 'पहचानकर्त्ता' की हो गई है क्योंकि अब यह बैंक खाता खोलने, डी-मेट खाता खोलने, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114 (ख) में निर्धारित अन्य वित्तीय लेन-देनों, माल और सेवा कर (जीएसटी) आदि हेतु पंजीकरण जैसे कार्यकलापों के लिए अपेक्षित है।
- **एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र (सीपीसी) 2.0:** करदाताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र 2.0 प्रोजोक्ट (इसके बाद इसे सीपीसी 2.0 प्रोजेक्ट कहा गया है) में सभी करदाताओं को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए, भारत में आयकर दायर करने और उसकी प्रक्रिया आरंभ करने की विधि को पुनः निधारित करने पर विचार किया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग के सीपीसी 2.0 प्रोजेक्ट के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसका उद्देश्य शुद्धता में सुधार लाने और रिफंड/प्रक्रिया की संपूर्ण समय (टर्न अराउंड) में भारी कमी लाने की विधि के रूप में आयकर विवरणी निर्धारित तिथि से पूर्व भरने और आयकरदाता द्वारा उसे स्वीकृत करने, करदाताओं के लिए बकाए कर मांगों का समाधान सरल बनाने, करदाताओं की सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाने की लिए डिजिटल मीडिया और नियोक्ता/सहभागी प्रमाणन कार्यक्रम के माध्यम से करदाता सहायता और करदाता आउटरीच कार्यक्रम के लिए एकीकृत संपर्क केन्द्र जैसे उपाय आरंभ करके आयकर प्रबंधन में सुधार लाना है। निरंतर, एकसमान, नियम संचालित, पहचान आधारित विधि से संपूर्ण देश में सभी श्रेणी के करदाताओं द्वारा दायर विवरणियों की प्रक्रिया आरंभ करके समस्तरीय इक्विटी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। इससे प्रत्येक करदाता की उसकी स्थिति को ध्यान में रखे बिना कर समाधान में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
- **ई-निवारण:** आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रणाली है। करदाताओं द्वारा सभी प्रकार की शिकायतें; जैसेकि पैन आवेदन प्रोसेस करना, निर्धारण, अपील, टीडीएस आदि दायर की जा सकती हैं। यह एक शत् प्रतिशत कागजरहित प्रणाली है, जहाँ ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है।
- **करदाताओं को रिफंड का भुगतान:** रिफंड बैंकर प्रोजेक्ट में रिफंड निर्धारित करने, तैयार करने, जारी करने, प्रेषित करने और खाते में जमा करने के लिए प्रणाली संचालित प्रक्रिया सक्रिय की गई है। इस प्रोजेक्ट ने डिलीवरी और रिफंड की प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित, तीव्र और पारदर्शी बना दी है।

व्यय नीति

व्यय प्रबंधन

भारत सरका, पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश की विकासात्मक आवश्यकताओं का वित्तपोषण करती रही है। 2016 में, केन्द्र प्रायोजित लगभग 66 योजनाओं

को युक्तिसंगत करके 28 अम्ब्रेला योजनाओं में बदल दिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं का कालचक्र वित्त आयोग के किसी कालचक्र में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के पास उपलब्ध संसाधनों के प्रवाह स्पष्ट हो।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक योजना का मूल्यांकन किए जाने और वित्त आयोग के अगले कालचक्र के लिए अनुमोदित किए जाने से पहले उनकी मूल्यांकन आधारि परिणाम की समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, नीति आयोग केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। मंत्रालयों से भी कहा गया है कि वे केन्द्रीय क्षेत्र की योजनओं का मूल्यांकन कराएं।

- पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और केवल एक वर्ष के लिए उर्ध्वगामी और क्षैतिज अंतरणों के आधार पर सिफारिशें की हैं। आयोग 2021-22 से 2025-26 की विस्तारित अवधि के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध कराएगा। इसी बीच मूल्यांकन का कार्रवाई पूरी की जाएगी।
- वित्त आयोग के कालचक्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वित्तपोषण में स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करने के लिए, 31 मार्च, 2020 के बाद या सिज तारीख तक योजनाएं पहले से अनुमोदित हैं, उस तारीख के बाद 31 मार्च, 2021 तक या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, एक अंतरिम विस्तार प्रदान किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

- डीबीटी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न कल्याणकारी और सब्सिडी कार्यक्रमों तक पहुंचते हैं और वे उनके घर में या उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं। लाभार्थियों की बेहतर ढंग से पहचान करने, समय पर लाभ पहुँचाने और मध्यस्थों को दूर करने के लिए डीबीटी संरचना में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया गया है जिससे सरकारी संवितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही आई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का लक्ष्य गरीबों के वित्तीय सवावेशन ओर आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत सब्सिडी, सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग करने के लिए विधायिका के अनुमोदन से डीबीटी के प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहन मिला है।
- डीबीटी अपने उद्भव के समय से ही सफल रहा है। उसकी सीमा के अंतर्गत 56 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की 433 योजनाएं हैं। वर्तमान डीबीटी संरचना के अंतर्गत, योजनाओं के अंतर्गत दिए गए लाभों के किस्मों के आधार पर मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:
  - **जिन्स योजनाएं:** इस श्रेणी में 67 योजनाएं या योजनाओं के घटक शामिल हैं जहां लाभार्थी मुख्यत: बिक्री केन्द्रों (पीओएस) पर आधार आधारित प्रमाणन कराने के बाद माल, पण्यों आदि के रूप में सब्सिडी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पीडीएस के अंतर्गत, वैध लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। उर्वरक सब्सिडी योजना के अंतर्गत, खाद कम्पनियां पीओएस पर आधार प्रमाण ीकरण के बाद सब्सिडी दरों पर किसानों को खाद जारी करती है।
  - **नकद योजनाएं:** इस श्रेणी में 301 योजनाएं या योजनाओं के घटक शामिल हैं जहां सब्सिडियों/लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदते हैं और सब्सिडी सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी के सभी भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं।
  - शेष 65 योजनाएं मिश्रित योजनाएं हैं जिनमें नकद और वस्तु घटक दोनों हैं। इस प्रकार की एक योजना पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की "स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण" है जिसमें कुछ क्षेत्रों में चिह्नित लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जाती है (घरेलू शौचालय का निर्माण करने के लिए) जबकि अन्य क्षेत्रों में, लाभार्भि को धनराशि प्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने के बजाए लाभार्थियों के समुदाय संपर्क के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जाता है।
- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्यों में कार्यान्वित सभी डीबीटी योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए डीबीटी सेल स्थापित किए हैं और सक्रिय स्टेट पोर्टल तैयार किए हैं। डीबीटी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्व ारा अब तक कुल 3,665 योजनाओं (2,196 केन्द्र द्वारा प्रायोजित और 1,469 राज्यों की योजनाएं) की पहचान की गई हैं।
- उपर्युक्त स्कीमों में डीबीटी कार्यान्वयन की प्रगति पर डीबीटी भारत पोर्टल के जरिए नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। 2013-14 में डीबीटी को अपनाए जाने से लेकर 30 दिसंबर, 2019 तक नकद और वस्तु स्कीमों के अंतर्गत लगभग 140.7 करोड़ पात्र लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 9,08,011 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30 दिसंबर तक अभिचिह्निकिम डीबीटी स्कीमों के अंतर्गत 140.7 करोड़ पात्र लाभार्थियों को ₹2,04,418 करोड़ अंतरित किए गए हैं।

❍❍❍

5. निर्गम परिणाम रूपरेखा 2020–21

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा व्यय संबंधी प्रमुख सुधार किए गए हैं। इसमें न केवल मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है, बल्कि बजट की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं, यह एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार को सक्षम करता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक योजनाओं और परियोजनाओं को एक अनुवीक्षणीय निर्गम- परिणाम ढांचे के तहत लाना है।

2017-8 के बाद से, बजट दस्तावेज में इंगित की जा रही मंत्रालयों की योजनाओं की वित्तीय रूपरेखा के अलावा, योजनाओं के अपेक्षित आउटपुट और परिणाम भी बजट सहित समेकित परिणामी बजट दस्तावेज में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए इन परिव्ययों, निर्गमों और परिणामों को संसद में प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख मंत्रालयों का बजट प्रावधान 2020-21

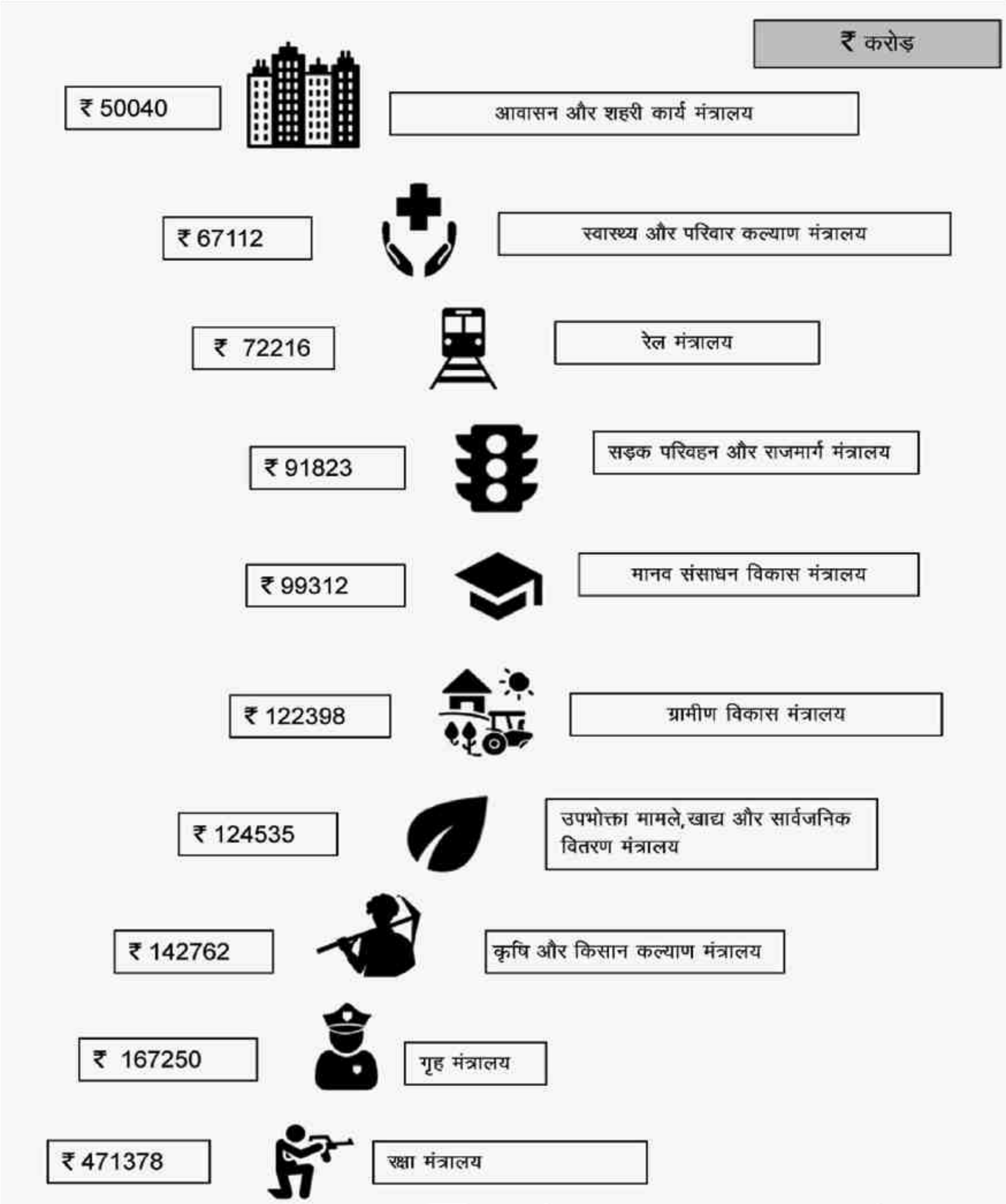

परिणाम बजट में-

- वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय परिव्यय
- परिव्यय के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्गम और परिणाम
- माप्य निर्गम और परिणाम संकेतक
- वित्त वर्ष 2020-2 के लिए विशिष्ट निर्गमम और परिणाम लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इससे सरकार की विकास कार्यसूची की पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और समझने में आसानी बढ़ जाएगी।

इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का लक्ष्य शासन की एक खुली, जवाबदेह, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण शैली को बढ़ावा देने के लिए महज नतीजों पर ध्यान न देकर परिणामोन्मुख निर्गम और परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाना है। इस प्रयास से मंत्रालयों को योजना के उद्देश्यों पर नजर रखने और उनके द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सुविधा होगी।

❍❍❍

6. केन्द्रीय बजट 2020–21 की प्रमुख विषय–वस्तु

परिचय

बजट 2020–21 को तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द–गिर्द तैयार किया गया है:–

1. **महत्वाकांक्षी भारत** जिसमें समाज के सभी वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं।
2. **सबके लिए आर्थिक विकास:** इसके लिये अर्थव्यवस्था के कई स्तरों में सुधार लाने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें निजी क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त स्थान प्रदान किया जा रहा है। दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे।
3. हमारा जिम्मेदार समाज ऐसा होगा जो मानवीय और दया भावना से भरा होगा।

महत्वाकांक्षी भारत

महत्वाकांक्षी भारत के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं-

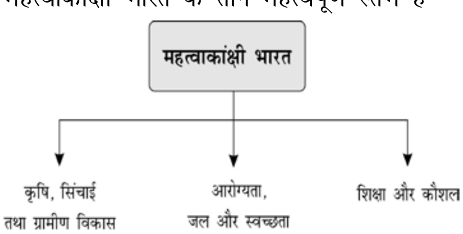

1. कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास

केन्द्र सरकार ने कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन में 18 फीसदी की वृद्धि की है और यह बढ़कर 2.83 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सिंचाई को लेकर बजट में विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें 20 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने के अलावा 100 सूखेग्रस्त जिलों को सूखे से बाहर निकालने की योजना भी शामिल है। उर्वरकों के इस्तेमाल में संतुलन लाना और जीरो बजट खेती भी सरकार के महत्वाकांक्षी घोषणाओं में शामिल है। पीएम किसान सम्मान के सभी लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से कवर होंगे। नाबार्ड के वेयरहाउस की मैपिंग और जियो टैगिंग सहित किसान रेल चलाने के साथ ही कृषि उड़ान योजना कृषि बजट का प्रमुख हिस्सा रही। किसान रेल को सार्वजनिक–निजी सभागिता के तहत चलाया गया है। इसके साथ ही सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 3477 सागर मित्र बनाएगी और 2022–23 तक मछली उत्पादन को 20 लाख टन पहुँचाने की योजना है।

केन्द्रीय बजट 2020–21 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,20,147 करोड़ रुपये का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है, जो 2019–20 की तुलना में अधिक है। ग्रामीण विकास विभाग राज्यों के सहयोग से कई अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ चलाता है। ये योजनाएँ ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, सामाजिक सहायता और ग्रामीण महिला स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दीनदयाल उपाध्याय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक आवंटन किया गया है।

केन्द्र सरकार ने बजट 2020–21 में बताया कि निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ई–एनडब्ल्यूआर) पर किया जाने वाला वित्तपोषण 6000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इसे ई–नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके साथ यह भी कहा कि वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुँह और बकरियों को खरीदने वाले पेस्टे पेटिस रूमिनेंट (पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म किया जाएगा। भारत के पास कृषि भंडारण, शीत गृह, माल ढुलाई वैन की सुविधाओं की 162 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है इसे और बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूटीआरए) के मापदंडो की तर्ज पर माल गोदाम बनाए जाएंगे साथ ही ब्लॉक/ताल्लुक स्तर पर ऐसे कार्यश्रम माल गोदाम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुहैया कराए जाएंगे।

कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास का विश्लेषण

2016 में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नॉन केमिकल फार्मिंग एवं ऑर्गेनिक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि जैविक कृषि को बढ़ावा

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

पीएम कुसुम में स्टैण्ड अलोन सोलर पम्प हेतु 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा और ग्रिड से जुड़े पम्पों के लिए 15 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा

- पीपीपी मोड पर कार्यक्षम वेयरहाउस के सृजन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
- एसएचजी द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम का शुभारंभ
- ई-एनडब्ल्यूआर का ई-नाम के साथ एकीकरण

खराब होने वाली वस्तुओं के लिए अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्रमश: "किसान रेल" और "कृषि उड़ान" की शुरूआत

- 2025 तक मवेशियों में एफएमडी तथा ब्रूसेलोसिस तथा भेंड़ और बकरियों में पीपीआर को समाप्त करना
- कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दुगुना करना
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य

- 2022-23 तक 20 लाख टन का मत्स्य उत्पादन
- 45000 एकड़ जल कृषि को सहायता
- 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य एफपीओ के माध्यम से मत्स्यपालन का विस्तार
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करना।

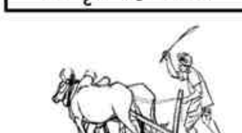

देने के लिए हर साल 12 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जाना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो बजट 2020-21 में जैविक कृषि के लिए घोषित आवंटन काफी कम है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दुनिया में भारत ऐसा सबसे बड़ा देश है, जहाँ जैविक कृषि करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में यदि सरकार जैविक किसानों को सहयोग करती तो केमिकल उर्वरक की वजह से वातावरण को हो रहे नुकसान को न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी कमी लाई जा सकती है।

इस वर्ष सरकार ने दोबारा 75,000 करोड़ रुपय पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जारी किए हैं। हालांकि इसके खर्चे पर नजर डालें तो पिछले वर्ष लगभग 54370 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए थे। डाउन-ट-अर्थ के एक सर्वे में पाया गया कि 1 फरवरी 2020 तक इस योजना के तहत सिर्फ 25 फीसदी किसानों को योजना की पूरी राशि यानि कि 6,000 रुपये दिए गए हैं।

दलवाई कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किसानों की आमदनी अगर 2022 तक दोगुनी करनी है तो किसानों की असल आय 10.4 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी जिसमें भारतीय किसान अभी काफी पीछे हैं। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 16 सूत्रीय कार्यक्रम से महज 10 फीसदी किसानों तक ही लाभ पहुँचेगा और इसके साथ ही बजट में रासायनिक खाद्य पर सब्सिडी में कमी करने से उत्पादकता कम होगी और आमदनी बढ़ने के बजाए घटेगी।

बजट में पहली बार किसान रेल चलाने की बात कही गई है हालांकि इस संबंध में यह देखना होगा कि इसका खर्च किसान वहन करने की स्थिति में होगा क्या? पहले तो यह देखना होगा कि किसान अपना सामान रेलवे स्टेशनों पर पहुँचा पा रहे हैं या नहीं क्योंकि भारत का ग्रामीण क्षेत्र रेलवे ट्रैकों से आसानी से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक ग्रामीण भारत की पहुँच रेलवे ट्रैकों तक नहीं हो जाती तब तक जितनी भी ट्रेनें सरकार चला ले किसानों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। बजट में कहा गया है कि चार रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 150 यात्री गाड़ियों को निजी व सरकारी भागीदारी से चलाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अब तक केवल एक स्टेशन यानि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को इस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर चार किया गया है।

आरोग्यता, जल और स्वच्छता

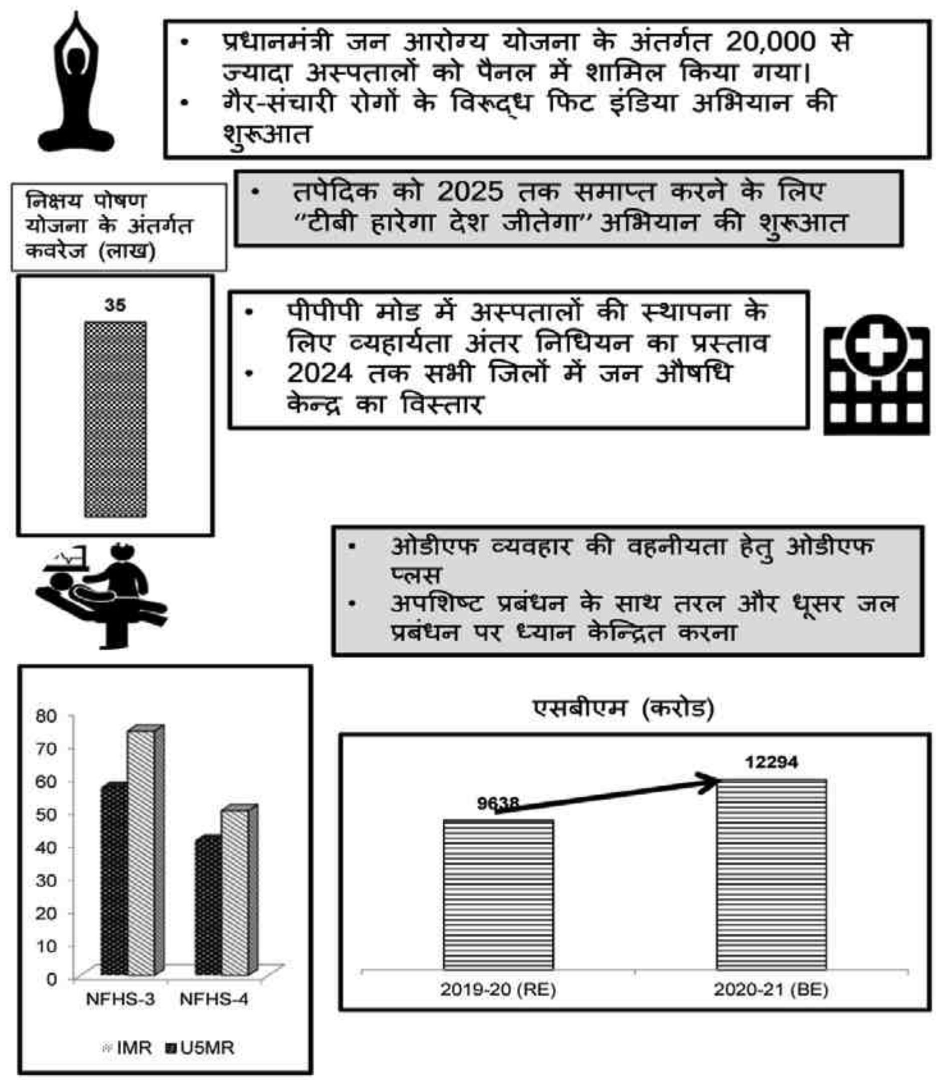

सरकार ने बजट में ब्लू इकोनॉमी की भी बात की है, किसान की जमीन जब कम हो जाती है तो लाइवस्टॉक, फिशरीज का महत्व काफी बढ़ जाता है जिसमें प्रमुख है इनलैंड फिशरीय! बिहार जैसे राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जल संसाधन बहुत ज्यादा है। हालांकि सरकार ने बजट में मरीन फिशरीज की बात तो की है लेकिन इनलैंड फिशरीज की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया है जो सीधे तौर पर किसानों के साथ जुड़ती है।

जानकारों का मानना है कि ग्रामीण विकास की तरफ सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। मनरेगा योजना में अकसर भ्रष्टाचार की खबर सामने आती है इसमें लोगों से गड्ढे खुदवाए और भरवाए जाते है जिससे भारतीय ग्रामीण विकास को कोई लाभ नहीं होता है साथ ही यह योजना गरीब लोगों के लिए लायी गयी थी लेकिन इसका प्रभाव उल्टा देखने को मिला। गरीब लोगों के संपन्न होने के बजाए ज्यादातर गाँवों के प्रधान संपन्न हुए और उन्होंने ही इस योजना का ज्यादा लाभ लिया है।

इसी तरह से ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण आवास योजना भी भ्रष्टाचार में ग्रसित है अकसर देखा जाता है एक नयी बनी हुयी सड़क के रख-रखाव के नाम पर ही कई बार पैसा लिया जाता है जबकि वह सड़क अभी बनी है। ग्रामीण आवास के नाम पर गरीब लोगों को मिलने वाले आवास अकसर पहले से संपन्न लोगों को मिल रहे हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से देखा जाए तो सरकार को योजनाओं के लिए रुपये आवंटन को बढ़ाने के बजाए उनमें हो रहे रिसाव और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए तभी सही मामले में ग्रामीण भारत का विकास हो सकेगा और सबका-साथ और सबका-विकास की मूल भावना को जमीन पर उतारा जा सकेगा।

2. आरोग्यता, जल और स्वच्छता

आरोग्यता (वेलनेस), जल और स्वच्छता का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पताल हैं फिर भी इस योजना के अंतर्गत स्तर-2 और स्तर-3 शहरों में गरीबों के लिए अधिक अस्पतालों की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत योजना में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग करते हुए पीपीपी मोड के तहत मुख्यत: आकांक्षी जिलों में अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव है। 2025 तक तपेदिक (टी.बी.) को समाप्त करने के लिए "टीबी हारेगा, देश जीतेगा" अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा बजट में 2024 तक सभी जिलों में 2000 औषधियों और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।

आरोग्यता, जल और स्वच्छता का विश्लेषण

इस साल का स्वास्थ्य के क्षेत्र का बजट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा है। दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सालाना आधार पर मुद्रास्फीति दर (इंफ्लेशन रेट) 7.5% था। इसका मतलब है कि बढ़े हुए आवंटन में से आधे से ज्यादा मँहगाई दर को रोकने में ही चला जाएगा। हम अभी भी किसी भी तरीके से स्वास्थ्य को जीडीपी का 2.5 फीसदी आवंटन करने के 2011 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे है।

संक्रामक रोगों के प्रति आवंटन को पिछले साल के मुकाबले कम कर दिया गया है। पिछले साल प्रकाशित हुयी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी बीमारियों में से संक्रामक रोग भारतीयों को सबसे ज्यादा बीमार बनाते है। ऐसे में सरकार द्वारा इस मद में आवंटन घटाने की बात समझ नहीं आती है। एक योजना जिसके आवंटन में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, वह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। पिछले साल इस योजना को 156 करोड़ रुपये मिले थे। इस साल यह सिर्फ 29 करोड़ रुपये मिले हैं। आयुष्मान भारत के आवंटन में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है, यह भी तब जब इस योजना को विस्तार दिया जाना है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है। किसी भी सरकार को सबसे पहले भारतीय टैलेंट को यहीं बनाए रखने और उसे जरूरी संसाधन मुहैया कराने पर ध्यान देना चाहिए।

स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार खुले में शौच मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2020-21 में कुल 12,300 करोड़ रुपय का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपय की मंजूरी दी गई है।

यह बात सच है कि भारत में स्वच्छता को लेकर जागरुकता बढ़ी है लेकिन पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए अभी काफी प्रयास किए जाने बाकी है। भारत में शौचालय इस्तेमाल न करने का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.7 प्रतिशत लोग घर में शौचालय होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं करते। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है जिससे सूखे की समस्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ऐसे में 2024 तक सभी घरों में पानी पहुँचाना सरकार के सामने कड़ी चुनौती होगी।

3. शिक्षा और कौशल

वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लगभग 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री/डिप्लोना पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 'भारत में अध्ययन' कार्यक्रम के तहत इंड-सैट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है। बजट में पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट में पीपीपी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा जिला अस्पताल से संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष ब्रिज कोष तैयार किए जाएंगे इसके अंतर्गत-

- शिक्षकों, नर्सो, पैरा मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों के लिए विदेशी मांग को पूरा किया जाएगा।
- कार्यबल और नियोक्ताओं के मानकों के कौशल संयोजन में समतुल्यता लायी जाएगी।

शिक्षा और कौशल का विश्लेषण

आज बड़ी संख्या में ऐसे युवा है, जिन्होंने आइटीआई, पॉलीटेक्निक और अन्य कौशल विकास केन्द्रों से प्रशिक्षण लिया है। पर कुछ फीसद ही युवाओं को बेहतर नौकरी मिली है। केन्द्र और राज्य सरकारें भी कौशल विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीने में देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है। अगर प्रशिक्षण लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी तो देश का युवा तकनीकी शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा लेकर क्या करेगा? केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्थिक विकास

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के लिए संसद में केन्द्रीय बजट पेश करते हुए ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) पर अधिक बल दिया है। ईज ऑफ लिविंग (जीवन सुगमता) का एक महत्वपूर्ण घटक आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास की मुख्य थीम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' है आर्थिक विकास को पुन: तीन खण्डों में विभाजित किया गया है-

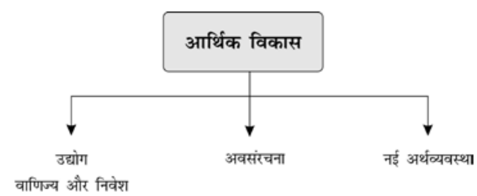

- उद्योग, वाणिज्य और निवेश (Industry, Commercial and Investment)
- अवसंरचना (Infrastructure)
- नयी अर्थव्यवस्था (New Economy)

उद्योग, वाणिज्य और निवेश

- **उद्योग और वा**णिज्य के विकास व संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
- बजट में भारत के उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार के ऐतिहासिक महत्त्व को भी स्पष्ट किया गया है। बजट में बताया गया है कि कैसे भारत सहस्राब्दि से कौशल, धातु-कर्म, व्यापार आदि में लगातार समृद्ध रहा है। बजट में प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था संबंधी कई शब्दों का उल्लेख किया गया है- श्रेणी, सेथी (Sethi) और पोद्दार। तकारा कोलिमी, टिन (Tin) धातु के धातुकर्मी को कहा जाता था जबकि श्रेणी, व्यापारिक संगठन थे। विभिन्न श्रेणियों के अपने-अपने नियम-कानून थे। इसके अतिरिक्त सेथी, थोक व्यापारी (Wholesale Merchant) को कहा जाता था। पोद्दार, खजाना विभाग (Treasory Department) का अधिकारी था; यह मुद्रा धातुओं में उच्च स्तर का ज्ञान रखता था।

- **निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ (Investment Clearance Cell) :** बजट में निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ (ICC) को भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रकोष्ठ निवेश-पूर्व सलाह, कम्पनी स्थापित करने हेतु भूमि की प्राप्ति से संबंधित सलाह, बैंकों से संबंधित सूचना सहित 'एंड टू एंड' (End to End) सुविधा और सहायता उपलब्ध करायेगा और केन्द्र व राज्य स्तर पर क्लीयरेंस को सुसाध्य बनायेगा। यह प्रकोष्ठ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा।

उद्यमशीलता हमेशा से भारत की शक्ति रही है। आज भी युवा भारत की संवृद्धि में अपना लगातार योगदान दे रहे हैं। उनमें जोखिम उठाने की क्षमता है और वे चुनौतियों से निपटने के लिए साहसी समाधानों के साथ तैयार रहते हैं। इसी प्रकार, भली-भाँति स्थापित पुराने उद्योग भी बदलती वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में स्वयं को पुनः तैयार कर रहे हैं। उनके ज्ञान, कौशल और जोखिम उठाने की क्षमताओं को संज्ञान में लेते हुए, सरकार ने बजट में निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ को स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि उनके लिए और अधिक अवसर सृजित किये जायें और अड़चनों को हटाया जाये।

- **पाँच नये स्मार्ट शहरः** केन्द्र सरकार, राज्यों के सहयोग से पीपीपी मॉडल के आधार पर पाँच नये स्मार्ट शहर को विकसित करेगी ताकि आगामी आर्थिक गलियारे, विनिर्माणकारी गतिविधियों में तेजी और प्रौद्योगिकी व महत्वाकांक्षी वर्गों (Aspirational Classes) की माँगों को एक बिन्दु पर लाकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।
- भारत को नेटवर्क वाले उत्पादों का विनिर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन जायेगा। परिणामस्वरूप भारत निवेश को अधिक आकर्षित कर पायेगा और कार्यशील जनसंख्या हेतु अधिक रोजगार सृजित होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणकारी उद्योग बहुत प्रतिस्पर्द्धी हैं और भारत ने अपनी लागत प्रभावी लाभदायक स्थिति का परिचय दिया है। इस उद्योग में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएँ हैं। बजट में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश को आकर्षित करने हेतु एक योजना की शुरूआत की गयी है। यह योजना मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण पर बल देगी। समुचित संशोधन करके, यह योजना चिकित्सा उपकरणों के लिए भी अपनायी जा सकती है।

- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission):** भारत प्रत्येक वर्ष अच्छी-खासी मात्रा में तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) का आयात करता है। इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए और भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है जिसकी 1480 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से 2020-21 से 2023-24 की चार-वर्षीय कार्यान्वयन अवधि होगी।

> **तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles):** तकनीकी वस्त्र उन वस्त्रों को कहते हैं जिनके निर्माण में सौंदर्य (Aesthetics) गौण होता है और कार्य सम्पादन (Functionality) प्रमुख उद्देश्य होता है। तकनीकी वस्त्रों का कई उद्योगों में उपयोग होता है, तथा-
>
> - कृषि, मछली पालन तथा बागवानी
> - सेना, अर्द्ध-सैनिक बल, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की सुरक्षा हेतु बुलेटप्रूफ जैकेट आदि वस्त्र
> - वाहनों में उपयोग आने वाले वस्त्र
> - चिकित्सा में उपयोग आने वाले वस्त्र
> - अग्नि से सुरक्षा

- प्रधानमंत्री के 'जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट' (Zero Defect-Zero Effect) विनिर्माण विजन के अनुरूप सभी मंत्रालय मानक जारी करेंगे। 'जीरो डिफेक्ट- जीरो इफेक्ट' विनिर्माण विजन का आशय उत्पादों की गुणवत्ता व मानकों से है। इस विजन की चर्चा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की थी।
- **निर्विक योजना (NIRVIK Scheme):** ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्विक योजना को शुरू किया गया है, इस योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

- उच्चतर बीमा कवरेज
- छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि में कटौती
- दावों के निपटान हेतु सरल प्रक्रिया

बजट में आशा की गयी है कि आगामी 5 वर्षों में निर्विक योजना की सहायता से लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का निर्यात करने में सहायता मिलेगी।

- निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्विक योजना के अलावा अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं–
  - निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित (Reversion) या वापस करने हेतु एक योजना की शुरूआत की जायेगी।
  - प्रत्येक जिला को एक निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा (खासकर किसी विशेष उत्पाद के लिए)। इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ताल-मेल बैठाया जायेगा और संस्थागत मैकेनिज्म के सृजन पर बल दिया जायेगा।
  - केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लगाये जाने वाले करों का रिफंड निर्यातकों को डिजिटल रूप में दिया जायेगा।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace-GeM) के तहत केन्द्र सरकार माल (Goods), सेवाओं (Services) और विभिन्न कार्यों की खरीद या अधिप्राप्ति के लिए एकीकृत खरीद प्रणाली (Unified Procurement System) अपनाती है। यह प्लेटफार्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है। वर्तमान में इस प्लेटफार्म पर लगभग 3.24 लाख विक्रेता सक्रिय हैं। बजट में इस प्लेटफार्म के द्वारा लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का प्रस्ताव है।

अवसंरचना

- बजट में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline-NIP) का भी जिक्र किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2019) पर दिये गये अपने भाषण में बल देकर कहा था कि अगले 5 वर्षों में अवसंरचना पर लगभग 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी के अनुकरण में 31 दिसम्बर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) शुरू की गयी थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6500 से अधिक परियोजनाएँ हैं जिन्हें आकार और विकास के चरण के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। इन नयी परियोजनाओं में हाउसिंग, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मुहैया कराना, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, मेट्रो और रेल यातायात, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, सिंचाई परियोजनाएँ आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली में सुधार लाने का विजन रखा गया है। इन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव से देश में जेनरिक व क्षेत्रगत सुधार (Generic and Sectorial Reforms) आयेंगे। भारत के युवावर्ग के लिए अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में रोजगार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA), अवसंरचना केन्द्रित कौशल के विकास पर विशेष रूप से बल देगी।
- बजट में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयारी सुविधा केन्द्र (Project Preparation Facility Centre) स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों से युवा इंजीनियर, प्रबंधन स्नातक और अर्थशास्त्रियों की सक्रिय भागीदारी होगी। सरकार की सभी अवसंरचना एजेंसियों को निदेश देने का भी प्रस्ताव है कि स्टार्ट-अप्स में युवा शक्ति को शामिल करें। ये नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना में मूल्यवर्धित सेवाएँ लाने में मददगार होंगे।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (National Logistic Policy):** केन्द्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों पर विशेष बल होगा–
  - (i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को सुस्पष्ट किया जायेगा।
  - (ii) एकल खिड़की (सिंगल विंडो) की ई-लॉजिस्टिक बाजार की स्थापना की जायेगी।
  - (iii) रोजगार सृजन, कौशल और एमएसएमई को प्रतिस्पर्द्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- **राजमार्ग (Highway):** राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जायेगा, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं–
  - (i) पहुँच नियंत्रण राजमार्ग (Access Control Highways) - 2500km
  - (ii) आर्थिक गलियारा – 9000km
  - (iii) रणनीतिक (Strategic) राजमार्ग – 2000km
  - (iv) दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे
  - (v) चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस वे
  - (vi) फास्टैग तंत्र के द्वारा राजमार्गों को और अधिक वाणिज्यिकृत एवं मुद्रीकृत करना।
- **भारतीय रेल:** बजट में भारतीय रेल के तहत भविष्य में किये जाने वाले उपाय एवं उपलब्धियों दोनों का वर्णन किया गया है–

उपाय

(i) रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जायेगी।

(ii) स्टेशन के पुनर्विकास की चार परियोजनाओं और 150 यात्री गाड़ियों का प्रचालन सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) रीति से किया जायेगा।

(iii) तेजस एक्सप्रेस की तरह और रेलगाड़ियों का विकास किया जायेगा जो प्रमुख पर्यटक गंतव्यों को जोड़ेंगीं।

(iv) मुम्बई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन पर सक्रियता से कार्य होगा।

उपलब्धियाँ

(i) 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।

(ii) कोई मानवरहित क्रॉसिंग नहीं।

(iii) 27000 किमी की रेल लाइन का विद्युतीकरण।

- **पत्तन और जलमार्ग:** पत्तन (बंदरगाह) और जलमार्ग के विकास हेतु बजट में निम्नलिखित उपबंध है–
  - (i) समुद्री बंदरगाहों को और अधिक दक्ष बनाने हेतु वैश्विक बेंचमार्कों के अनुरूप एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
  - (ii) सरकार कम से कम एक बड़े बंदरगाह को निगमित करने और बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।
- अंतर्देशीय जलमार्गों (Inland Waterways) को पिछले पाँच वर्षों में काफी बढ़ावा दिया गया है। अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास कार्य के परिणामस्वरूप नदी के दोनों किनारों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री के

'अर्थ गंगा' संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जायेगा।

- **हवाई अड्डे:** देश में वायु यातायात में तेजी आयी है। बजट में इस हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं-
  - (i) उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2024 तक 100 और हवाई अड्डों (Airports) को तैयार किया जायेगा।
  - (ii) उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान की 600 से बढ़कर 1200 तक हो जायेगी।
- **विद्युत:** बजट में विद्युत क्षेत्र के निम्नलिखित प्रावधान हैं-
  - (i) स्मार्ट मीटर को बढ़ावा।
  - (ii) बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) में सुधार हेतु विभिन्न उपाय किये जायेंगे।
- **ऊर्जा:** बजट में ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान हैं-
  - (i) 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
  - (ii) राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव।

नई अर्थव्यवस्था

- नई अर्थव्यवस्था अभिनव परिवर्तनों पर आधारित होती है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स, थ्री-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डाटा स्टोरेज, क्वांटम कम्प्यूटिंग आदि नयी अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रहे हैं। अब 'डाटा इज द न्यू ऑयल' (Data is the new oil) एक सूक्ति बन गयी है। नई अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने हेतु बजट में निम्नलिखित प्रावधान हैं-
  - (i) जल्द ही ऐसी नीति लायी जायेगी, जिसके जरिये निजी क्षेत्र को देश भर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके।
  - (ii) भारतनेट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख ग्राम पंचायतों को 'फाइबर-टू-द-होम' (एफटीटीएच) से जोड़ा जायेगा।
  - (iii) 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
  - (iv) ग्राम पंचायत स्तर पर सभी 6 सार्वजनिक संस्थानों (जैसे- आँगनबाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र, सरकारी स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, डाकघर और पुलिस स्टेशन) को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।
- **ज्ञान-प्रेरित उद्यम:** ज्ञान-प्रेरित उद्यमों के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए निम्न उपाय होंगे-
  - (i) ज्ञान प्रेरित उद्यमों के विकास में बौद्धिक संपदा का सृजन और संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस सम्बन्ध में अनेक उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं जिनसे स्टार्ट-अप्स लाभान्वित होंगे।
  - (ii) आईपीआर (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जायेगा।
  - (iii) नये और उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद (नॉलेज ट्रांसलेशन) क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे।
  - (iv) अवधारणा (Concepts) के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण (Validation) के लिए तथा प्रौद्योगिकी क्लस्टरों का स्तर और ऊपर उठाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माणकारी सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
  - (v) भारत के जेनेरिक लैंडस्केप की मैपिंग अगली पीढ़ी की चिकित्सा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस हेतु एक व्यापक डाटाबेस सृजित करने के लिए दो नई राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान स्कीमों को प्रारम्भ किया जायेगा।
  - (vi) स्टार्टअप्स के पहले चरण के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड (Seed Fund) सहित प्रारम्भिक निधि पोषण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

- **क्वाण्टम प्रौद्योगिकी:** क्वाण्टम प्रौद्योगिकी व्यापक रूप से विविध अनुप्रयोगों के साथ कम्प्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा में नये मोर्चे खोल रही है। क्वाण्टम प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए 8000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव है।

आर्थिक विकास का विश्लेषण

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में आर्थिक विकास खण्ड के जरिये आम आदमी की ईज ऑफ लिविंग हेतु कई प्रावधान किये हैं, यथा-निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ, निर्विक योजना, स्मार्ट शहर, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नई अर्थव्यवस्था और ज्ञान-प्रेरित उद्यम। बजट के ये प्रावधान निःसंदेह भारत की संवृद्धि में बढ़ोत्तरी दर्ज करेंगे और लोगों के जीवन को सुगम बनायेंगे। हालाँकि बजट के आर्थिक विकास के घटक का विशेषज्ञों ने कई आधारों पर आलोचना भी की है-

- सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' के लिए आवश्यक मात्रा में वित्त का प्रावधान नहीं किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम में राज्य और निजी निवेशक मुश्किल

से ही निवेश करेंगे क्योंकि दोनों के पास वित्त की कमी है, अत: केन्द्र सरकार को अपने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर खुद ही भारी निवेश करना चाहिए।

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियों (Reciepts) के संशोधित अनुमान आ गये हैं, जिसमें उम्मीद से कम प्राप्ति हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण जीएसटी का सही से कार्यान्वयन न हो पाना है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती होना है। इस स्थिति में स्मार्ट शहर, नयी अर्थव्यवस्था, ज्ञान प्रेरित उद्यम आदि को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार के पास धन की कमी हो सकती है।
- नयी अर्थव्यवस्था, क्वाण्टम प्रौद्योगिकी आदि के लाभों को भारत में तब तक समुचित रूप से नहीं उठाया जा सकता है जब तक भारत में डिजिटल विभाजन को न कम किया जाये और शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ न किया जाये।
- अंतर्देशीय जलमार्ग, एक सस्ता व पर्यावरण हितैषी यातायात उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए 'अर्थ गंगा' के अलावा बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं हैं।

जिम्मेदार समाज

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आम बजट में तीन प्रमुख थीम आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और अन्त्योदय पर आधारित एक जिम्मेदार समाज का समावेश किया गया है। तीसरी थीम (जिम्मेदार समाज) के अंतर्गत महिला एवं बालु, समाज कल्याण, संस्कृति और पर्यटन तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान केंद्रित किये जाने का प्रावधान है।

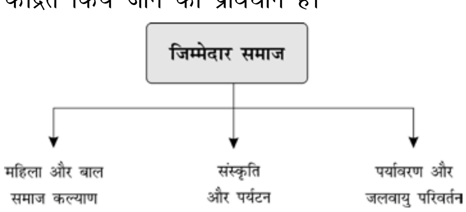

1. महिला एवं बाल, समाज कल्याण

बजट 2020-21 में महिला एवं बाल कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया। महिलाओं के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता बनाये रखते हुए इस बजट में महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। महिला व SHGs को पुन: धन लक्ष्मी का ओहदा प्रदान करने के लिए ग्राम भण्डारण योजना को प्रस्तावित किया गया है। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को पोषणात्मक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराये गये हैं।

इसके साथ ही मातृ मृत्युदर में कमी लाने और पोषण स्तर में सुधार के संबंध में सिफारिश देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जायेगा। यह कार्यदल मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े मुद्दे पर भी मातृत्व मृत्युदर एवं पोषण के स्तर की दृष्टि से विचार करेगा और छः माह के अंदर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा।

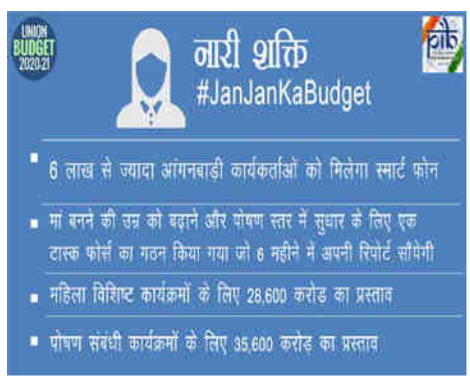

बजट 2020-21 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के सुखद नतीजों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री में बताया कि शिक्षा के सभी स्तरों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों से अधिक है। प्रारंभिक स्तर पर यह अनुपात 94.32% जबकि लड़कों के लिए यह 89.28% है। माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात 78 प्रतिशत की तुलना में 81.32 प्रतिशत तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कों के 57. 54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों का नामांकन अनुपात 59.70% है।

सीवर सिस्टमों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के कार्य को मशीनीकृत किये जाने से संबंधित उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। इन प्रौद्योगिकयों को अपनाने के लिए मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ऐसी प्रौद्योगिकियों की व्यापक पैमाने पर स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जायेगी।

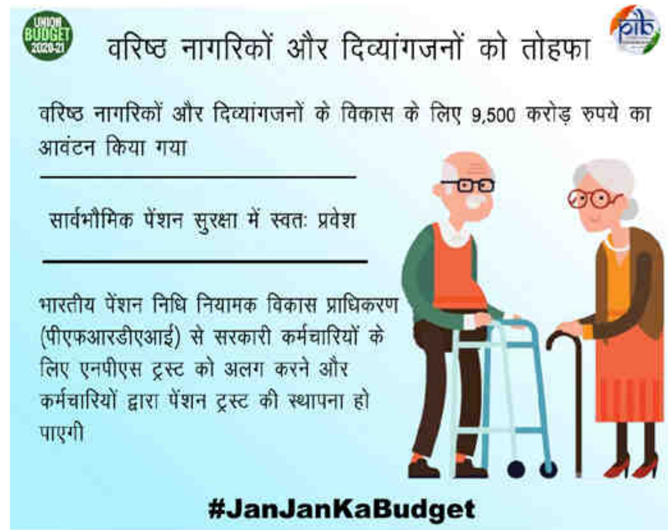

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53,700 करोड़ रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की समस्याओं के निपटान के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

2. संस्कृति और पर्यटन

बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत एक भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना का

मौजूदा ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

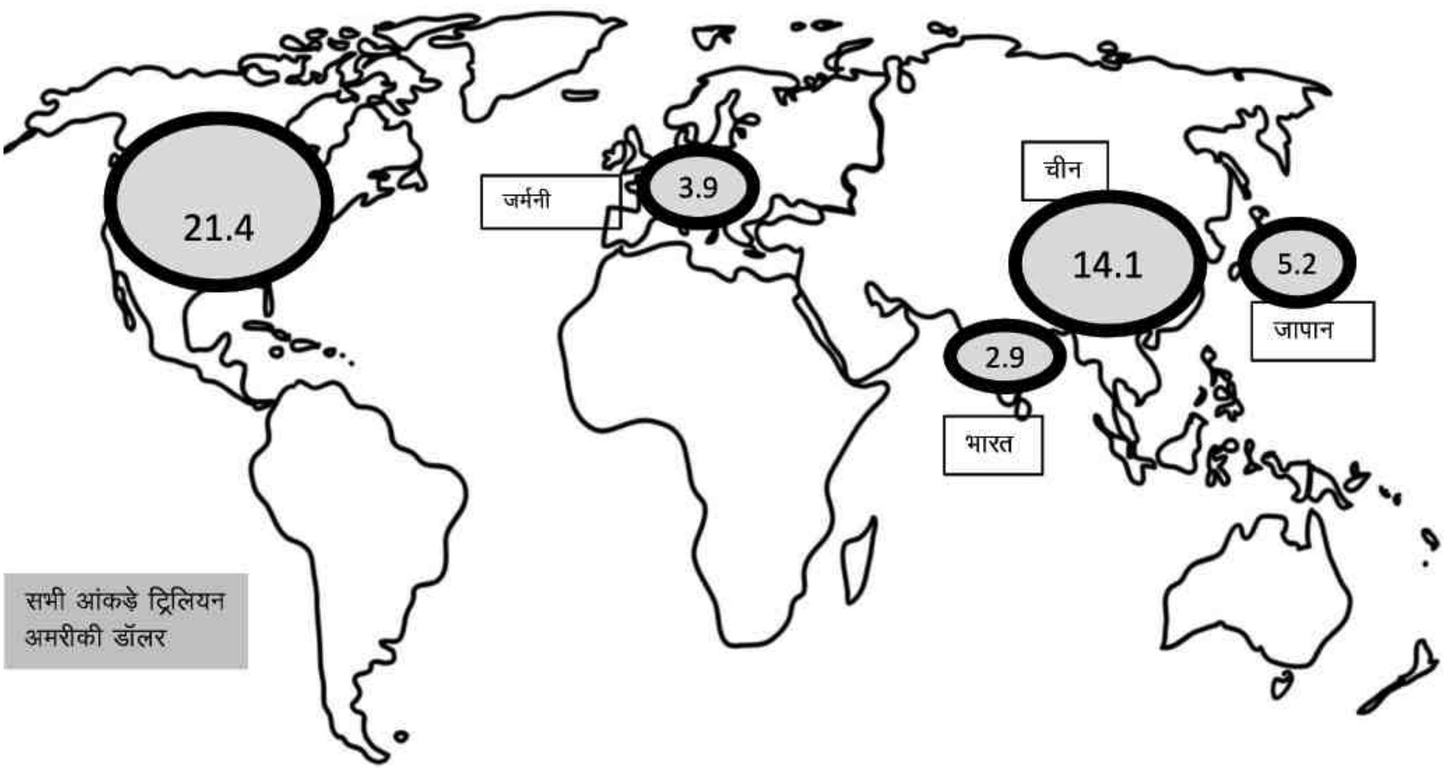

प्रावधान किया गया है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल होगा। इसके साथ ही पाँच धरोहर स्थलों राखीमढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धौलावीरा और अदिचनल्लूर आदि का विकास किया जायेगा। इसके अलावा कोलकाता के भारतीय संग्रहालय का पुनरुद्धार किया जायेगा और अहमदाबाद के निकट हड़प्पाकालीन नौवहन स्थल लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक में भारत जहाँ 2014 में 65वें पायदान पर था वहीं वर्ष 2019 में यह 34वें स्थान पर रहा। वर्ष 2019 में विदेशी विनिमय आय 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.88 लाख करोड़ रही। पर्यटन में वृद्धि का विकास और रोजगार से सीधा संबंध है। अतः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

एक जिम्मेदार समाज का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करे ताकि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का उन्मूलन किया जा सके। देश के विकास से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत ने एक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर 2015 के पेरिस करार के अंतर्गत अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान सौंप दिया है। इसका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2021 से प्रारंभ होगा। कार्यरूप में भारत की प्रतिबद्धताएँ सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित विभागों एवं मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जायेगी।

इसके साथ ही एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में अधिक स्वच्छ हवा के लिए योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस प्रोत्साहन के मानदण्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 4400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

अभिशासन

बजट के प्रमुख प्रावधानों को आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार भारत में वर्गीकृत किया है जिन्हें सम्भालने वाले दो प्रमुख हाथों में से एक हाथ है अभिशासन।

- अभिशासन के लिए निष्पक्ष, भ्रष्टाचार युक्त, नीति संचालित, सही इरादे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठा युक्त शासन में विश्वास स्थापित करना है।
- कर शासन में निष्पक्षता और कुशलता लाने के लिए करदाता चार्टर का गठन किया जायेगा।
- विधानों में कार्यों के लिए सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। इस तरह के प्रावधानों वाले अन्य कानूनों की जाँच के बाद उनमें भी सुधार किया जायेगा।
- सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों में भर्ती के लिए-
    - एक स्वतंत्र, पेशेवर विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन.आर.ए.) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
    - प्रत्येक जिले विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जायेगा।
- आधिकारिक सांख्यिकीय पर नवीन राष्ट्रीय नीति हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) सहित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा अत्याधुनिक डाटा संग्रह,

समेकित सूचना पोर्टल और समय से सूचना के प्रसार की दिशा में एक कार्य योजना तैयार की जायेगी।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोंटल के इस्तेमाल से धन के अंतरण में सुधार के साथ-साथ बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों की वित्तीय सहायता की पहुंच में सुधार किया जायेगा।
- केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख विकास के लिए जम्मू और कश्मीर को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रूपये तथा लद्दाख को 5958 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
- 2022 में जी-20 देशों के आयोजन की तैयारी के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपये का आवंटन किया है।

वित्तीय क्षेत्र

- सरकार ने बजट में महत्त्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज तीनों खण्डों के द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को उल्लिखित किया है। इन योजनाओं व कार्यक्रमों को संभालने हेतु दो हाथों (गवर्नेंस व वित्तीय क्षेत्र) का बजट में उल्लेख किया गया है। अर्थव्यवस्था के लिए एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के प्रयासों में, वित्तीय ढाँचा विकसित होते रहना चाहिए और अधिक से अधिक सुदृढ़ होते रहना चाहिए।
- **सार्वजनिक बैंकों में सुधार:**
  - 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया।
  - 3,50,000 करोड़ रुपये की पूँजी दी गयी।
  - सार्वजनिक बैंकों में पारदर्शिता लाने तथा बेहतर पेशेवरवाद के लिए शासन में सुधार लाने पर जोर दिया गया।
  - कई सार्वजनिक बैंकों को अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए पूँजी बाजार में पहुँच के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीडीसी) ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अनुमति दी।
- जमाकर्त्ताओं के धन को सुरक्षित रखते हुए, एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्वास्थ्य की निगरानी।
- **बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण:**
  - पेशेवरवाद में वृद्धि।
  - पूँजी तक पहुंच में आसानी।
  - भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग के लिए अभिशासन और निगरानी में सुधार लाया जायेगा।
- सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) के अधीन एनबीएफसी हेतु सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ रुपये का आस्ति सीमा (Asset Size) किये जाने अथवा मौजूदा 1 करोड़ रुपये से घटाकर ऋण सीमा (Loan Size) 50 लाख रुपये किये जाने का प्रस्ताव है।
- **बैंकिंग प्रणाली में निजी पूँजी:** सरकार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में अपनी शेष हिस्सेदारी को निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को बेचेगी।
- **रोजगार के दौरान आवागमन में आसानी:**
  - सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा में स्वत: प्रवेश अथवा नामांकन।
  - धन की सुरक्षा के लिए अंतर-संचालनीय प्रणाली (Inter-operability System)
- **भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करके:**
  - पीएफआरडीएआई की नियामक भूमिका को मजबूत किया जाएगा।
  - पीएफआरडीएआई से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना में भी समर्थ बनायेगा।
- **घटक नियमन अधिनियम, 2011 (Factor Regulation Act, 2011) के संशोधन द्वारा:**
  - टीआरईडीएस (TReDS) के माध्यम से एमएसएमई का वित्तपोषण बढ़ाने में एनबीएफसी सक्षम बनेगा।
- **बैंकों द्वारा एमएसएमई के उद्यमियों के लिए सहायक या अधीनस्थ ऋण प्रदान करने हेतु नई योजना:**
  - कार्यशील पूँजी संबंधी ऋण एमएसएमई के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
  - एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण (Subordinate Debt) प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने इस ऋण की गणना अर्द्ध-इक्विटी के रूप में की जायेगी।
  - अधीनस्थ ऋण को ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से पूरी गारंटी प्रदान की जायेगी।
- पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत ऋण पुनर्सरचना (Restructuring of Debt) से लगभग 5 लाख एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई की ऋण पुनर्सरचना हेतु विन्डो को 31 मार्च, 2021 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।
- एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवायस फाइनेंसिंग (Invoice Financing) ऋण उत्पाद की शुरूआत की जायेगी। इससे एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतानों और नकदी प्रवाह की समस्या का निराकरण होगा।
- **एमएसएमई का निर्यात संवर्धन:**
  - फार्मास्यूटिकल, मोटर वाहन पुर्जे तथा अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यात प्रोत्साहन।
  - एक्सिम बैंक और सिडबी द्वारा 4000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई।
  - प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि के लिए सहायता।

वित्तीय बाजार

- हमें अपने बांड बाजार को सशक्त बनाना होगा ताकि वित्तीय प्रणाली में पूँजी प्रवाह बना रहे।
- कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह खोला जाएगा।
- कॉरपोरेट बांडों में एफपीआई की सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।

अवसंरचना वित्तपोषण

- सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की थी। सरकार द्वारा इसके लिए लगभग

22 हजार करोड़ रुपये की राशि पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। यह राशि आईआईएफसीएल व एनआईआईएम जैसी अवसंरचना वित्त कम्पनियों को इक्विटी सहायता की पूर्ति करेगी। वे इसका उपयोग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्त पोषण परियोजना के सृजन के लिए करेंगे। इससे अवसंरचना परियोजना के लिए दीर्घावधिक ऋण के एक बड़े स्रोत का सृजन होगा और एक बहुप्रतीक्षित अनिवार्यता पूर्ण होगी।

- आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा सर्वोत्तम डेटा प्रोसेसिंग का केन्द्र बनने की क्षमता है। विनियामक के अनुमोदन से वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की जायेगी।

विनिवेश

- सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूँजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

राजकोषीय प्रबंधन

- **15वाँ वित्त आयोग:**
  - 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है।
  - इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं।
  - 2020-21 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट इसी वर्ष कुछ समय बाद सौंपेगा।
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि:**
  - वर्ष 2016-17 और 2017-18 के संग्रहण में से देय बकाया राशि दो किस्तों में कोष में हस्तांतरित की जानी है।
  - इसके पश्चात, इस निधि में स्थानांतरित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के द्वारा संग्रहण तक ही सीमित होगी।
- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को भविष्य की उभरती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के मुताबिक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमित सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो, बुनियादी कायाकल्प आवश्यक है।
- संभावित राजकोषीय आँकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर अभी हाल में हुई चर्चा में यह आश्वासन दिया गया है कि अपनाई गई प्रक्रिया एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप है।
- **वित्त वर्ष 2019-20 के लिए:**
  - व्यय के संशोधित अनुमान- 26.99 लाख करोड़ रुपये।
  - प्राप्तियों के संभावित अनुमान- 19.32 लाख करोड़ रुपये।
- **वित्त वर्ष 2020-21 के लिए:**
  - नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP) की वृद्धि दर 10 प्रतिशत अनुमानित है।
  - प्राप्ति- 22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित।
  - व्यय- 30.42 लाख करोड़ रुपये।
- अभी हाल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार शुरू किये गये। हालाँकि कर में अनुमानित उछाल में समय लगने का अनुमान है।
- संशोधित बजट अनुमान में 2019 में राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत है और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूँजीगत व्यय के लिए चला जाएगा जो 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।

प्रत्यक्ष कर

- विकास को गति प्रदान करने के लिए कर ढाँचा सरल बनाया गया, अनुपालन सरल बनाया गया और मुकदमेंबाजी कम हुई।
- **व्यक्तिगत आय कर:**
  - मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत।
  - नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर शासन प्रस्तावित।

कर योग्य आय के स्लैब (रुपये)	मौजूदा कर दरें	नई कर दरें
0 से 2.5 लाख	छूट	छूट
2.5 से 5 लाख	5%	5%
5 से 7.5 लाख	20%	10%
7.5 से 10 लाख	30%	15%
10 से 12.5 लाख	30%	20%
12.5 से 15 लाख	30%	25%
15 लाख से ऊपर	30%	30%

- मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।
- **कॉरपोरेट कर:**
  - 15 प्रतिशत कर दर नयी बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।
  - भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।
- लाभांश वितरण कर (डीडीटी) ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने से रोका है। होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश के लिए छूट की अनुमति।
- **स्टार्ट अप:**
  - 100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आकलंन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ।
- **एमएसएमई से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:**
  - कम नकदी वाली आर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लेखा-परीक्षण हेतु कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में पाँच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। यह वृद्धि केवल उन व्यवसायियों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेनदेन में 5% से कम नकद का प्रयोग करते हैं।
- **सहकारी संस्थाएँ:**
  - सहकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश।
  - सहकारी संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10% अधिभार और 4% उपकर के साथ 22% कर भुगतान का विकल्प।
  - सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट मिलेगी जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट मिलती है।
- **विदेशी निवेश के लिए कर रियायत:**
  - प्राथमिताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 31 मार्च, 2024 से पहले और न्यूनतम तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ

अवसंरचना और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज, लाभांश और पूँजीगत लाभों को 100% छूट देने का प्रस्ताव।

- **सस्ते मकानः**
  - सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों को देय ब्याज में 4.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
  - 31 मार्च, 2021 तक अनुमोदिन सस्ते मकान की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान।
- **कर को सरल बनाने के उपायः**
  - आधार के जरिए तुरंत पैन का ऑनलाइन आवंटन।

भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियाँ

- भारत, विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4% की औसत वृद्धि रही।
- वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया।
- भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014–19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009–14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
- केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7% (मार्च 2019) पर, जो मार्च 2014 में 52.2% था।
- **दो प्रमुख उपलब्धियाँः**
  - प्रौद्योगिकी का प्रसार (एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो इनफॉर्मेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमतता)
  - भारत में उत्पादक आयु समूह में अब तक के सर्वाधिक लोग मौजूद।
- जीएसटी ने व्यवस्था की तमाम बाधाओं को दूर किया है।

डिजिटल क्राँति से संचालित भारत की वैश्विक नेतृत्व स्थिति को बरकरार रखने के लिए भविष्य के लक्ष्य

- डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की निर्बाध डिलिवरी।
- नेशनल इंफ्रास्ट्रचर पाइपलाइन के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
- आपदारोधी के जरिए जोखिम को दूर करना।
- पेंशन एवं बीमा में विस्तार के जरिए सामाजिक सुरक्षा।

  - प्रत्यक्ष कर से संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 30 जून, 2020 की समय सीमा के साथ "विवाद से विश्वास" योजना।
  - करदाता को लंबित मुकदमों से संबंधित सिर्फ मूल कर भुगतान राशि चुकानी होगी, उसे ब्याज व जुर्माने से छूट होगी (31, मार्च, 2020 तक)।
  - यदि किसी स्तर पर अपील लंबित हो तो करदाता को लाभ।
- **धर्मार्थ संस्थाओं के लिएः**
  - दान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर करदाता की विवरणी में दानकर्ता की पूर्व सूचना देने का प्रावधान।
  - पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक करने का प्रस्ताव।
  - नयी और मौजूदा सभी धर्मार्थ संस्थाओं को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जारी की जाएगी।
  - नयी धर्मार्थ संस्थाओं को तीन वर्षों के लिए अनंतिम पंजीकरण देने का प्रावधान।
- **करदाता चार्टरः** किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास की आवश्यकता होती है। यह तभी सम्भव होगा जब करदाताओं के अधिकार को स्पष्ट रूप से एक 'करदाता चार्टर' के तहत लाया जायेगा।

अप्रत्यक्ष कर

- **जीएसटीः**
  - इनवॉइस माँगने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन व्यवस्था।
  - 1 अप्रैल, 2020 से परीक्षण के तौर पर सरलीकृत विवरणी का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस विवरणी को फाइल करना आसान बनाया जाएगा।
  - ग्राहक इनवॉइस के लिए जीएसटी के प्रस्तावित मानदंडों पर आधारित डायनमिक क्यूआर कोड केंद्रीकृत प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचनाओं को रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
  - गैर मौजूद इकाइयों की छटनी के लिए करदाताओं का आधार आधारित सत्यापन।
- **सीमा शुल्कः**
  - सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्नीचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान।
  - न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया गया।
  - इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्क की दरों में संशोधन।
  - चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5% स्वास्थ्य उपकर जो बीसीडी से छूट से अतिरिक्त होगा।
  - फ्यूज, रसायन और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती।
  - वाहनों के कलपुर्जे, रसायन आदि कुछ वस्तुएँ जिनका घरेलू उत्पादन भी होता है, पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
- **व्यापार नीति के उपायः**
  - एफटीए के तहत आयात की उचित जाँच के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन।
  - कुछ संवेदनशील वस्तुओं के लिए मूल उद्‌गम की आवश्यकताओं संबंधी नियमावली की समीक्षा होगी।
  - आयात में वृद्धि को एक व्यवस्थित तरीके से विनियमित करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी संबंधी प्रावधान।
  - वस्तुओं की डंपिंग को रोकने और सब्सिडीयुक्त वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाने के लिए प्रावधानों को सुदृढ़ किया जाएगा।
  - क्राउड सोर्सिंग के लिए सीमा शुल्क से छूट की समीक्षा का सुझाव।
  - सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, बीडी पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं।
  - कपड़ा क्षेत्र को लाभ देने के लिए पीटीए पर डंपिंगरोधी शुल्क खत्म।

वित्तीय क्षेत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन

बजट में ईज ऑफ लिविंग के लिए दो हाथों (गवर्नेंस व वित्तीय क्षेत्र) का वर्णन है। वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता हेतु बजट में कई प्रावध

ान किये गये हैं। विशेषज्ञों ने निम्नलिखित आधारों पर वित्तीय क्षेत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है–

- आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय संरचनात्मक संकट (Structural Crisis) से गुजर रही है और बैंकों की एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) की समस्या काफी गंभीर है। इस स्थिति में सरकार को वित्तीय क्षेत्र के गवर्नेंस में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जबकि इन समस्याओं से निपटने व अर्थव्यवस्था में माँग को बढ़ाने के लिए बजट में कोई निश्चित रूपरेखा का वर्णन नहीं किया गया है।
- आर्थिक विश्लेषकों ने सरकार द्वारा राजकोषीय प्रबंधन की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि घटी कार्पोरेट टैक्स दर और जीएसटी का अनुचित कार्यान्वयन राजकोषीय घाटे को और बढ़ा सकता है। राजकोषीय घाटा न सिर्फ निजी निवेश को प्रभावित करेगा बल्कि महँगाई को भी बढ़ा सकता है।
- वर्तमान में एमएसएमई क्षेत्र में सबसे अधिक बैंकों का कर्ज फँसा है और सरकार ने इस क्षेत्र के उत्थान हेतु कम प्रयास किये हैं, जबकि यह रोजगार गहन क्षेत्र है।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

केन्द्रीय बजट : 2020-21

1. बजट एक नजर में

- बजट के सार में बजट अनुमानों को छोटे समूहों में बाँट कर परिलक्षित किया जाता है ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके।
- यह दस्तावेज भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे को दर्शाता है।
- भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में 30,42,230 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7% अधिक है, अर्थात् इसके पहले केन्द्रीय बजट 2019-20 में खर्च की राशि 27.86 लाख करोड़ रुपये थी।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये केंद्र सरकार ने 22.46 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित की, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 16.3 प्रतिशत अधिक है।

- बजट 2020-21 कृषि, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% पर रखते हुए संशोधित अनुमान (2019-20) की तुलना में व्यय 3,43,678 करोड़ रुपये बढ़ोत्तरी करके सिद्ध किया गया।

2. रुपये का आना-जाना

- भारत सरकार को 1 रुपये की प्राप्ति में 64 पैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है जिसमें से वह 20 पैसे राज्य सरकारों के करों एवं शुल्कों के अदायगी के रूप में खर्च करती है।
- जहाँ भारत सरकार को 18 पैसे की प्राप्ति निगम कर से होती है, वहीं 17 पैसे की प्राप्ति आय कर से होती है। इसके अलावा सीमा शुल्क से 4 पैसे की आमदनी होती है।
- भारत सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 7 पैसे प्राप्त होते हैं जबकि ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 6 पैसे का योगदान प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार को कर-भिन्न राजस्व से 10 पैसे की प्राप्ति होती है।
- केन्द्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक आय उधार और अन्य देयताएं से प्राप्त होती है, जो 20 पैसे है। भारत सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से 18 पैसे की प्राप्ति होती है।
- संघीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार 8 पैसा रक्षा में 9 पैसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में जबकि केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 13 पैसे का व्यय किया जाता है।
- इसके अलावा भारत सरकार 18 पैसे ब्याज अदायगी में भी खर्च करती है। गौरतलब है कि भारत सरकार पेंशन में 6 पैसे खर्च करती है।
- भारत सरकार वित्त आयोग और अन्य अंतरणों को 10 पैसे प्रदान करती है।

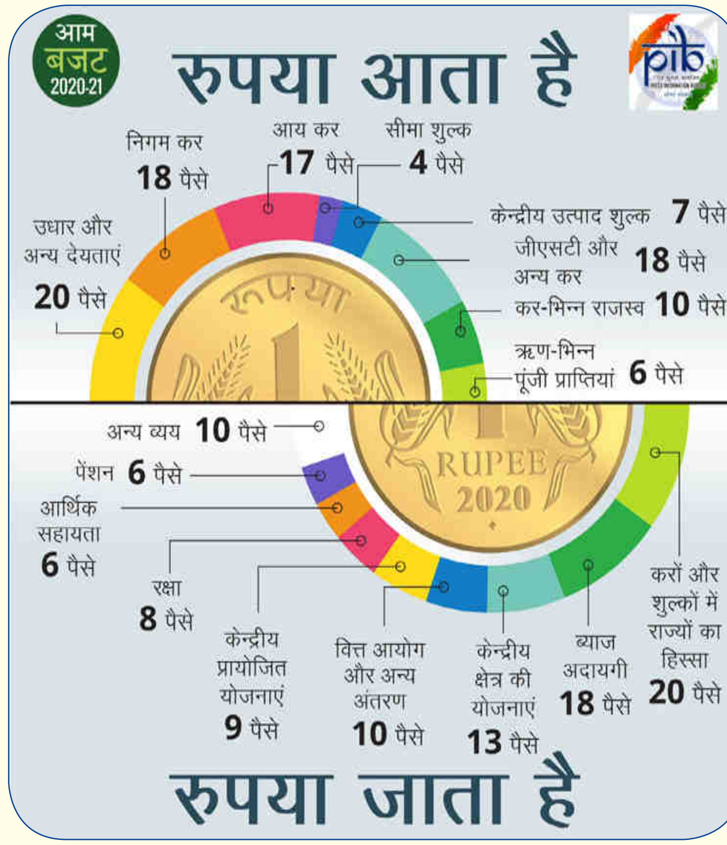

3. घाटे की प्रवृत्तियां

- **राजकोषीय घाटा:** राजकोषीय घाटा से आशय उस स्थिति से है जब सरकार का कुल खर्च, कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। इन प्राप्तियों में ऋण से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार ने 2020-21 के लिए 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया था।
- **राजस्व घाटा:** राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन-देनों को शामिल किया जाता है, जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है।
- **प्रभावी राजस्व घाटा:** राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियाँ सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है, जब इस राशि को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं।

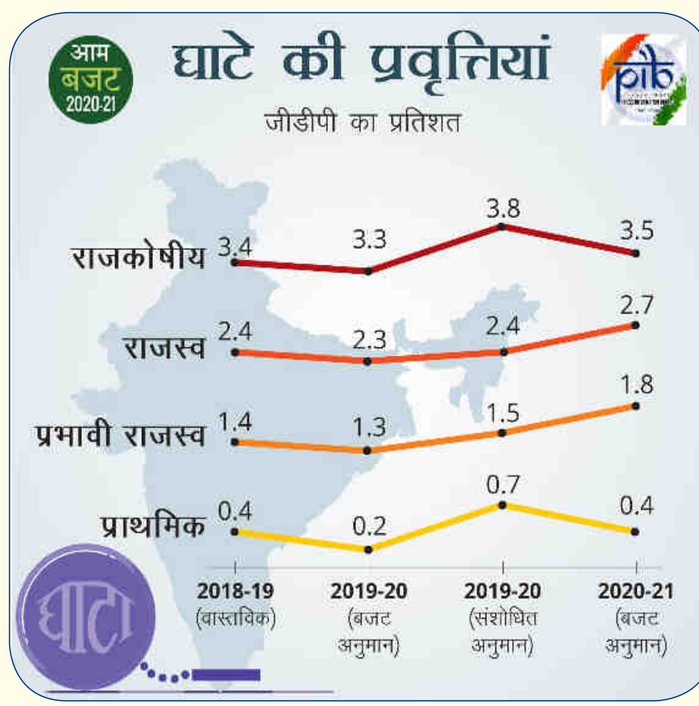

- **प्राथमिक घाटा:** जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकाल दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा ब्याज अदायगी के अंतर को व्यक्त करता है। आगामी वित्त वर्ष के लिये राजस्व घाटा कुल जीडीपी GDP का 2.7 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो कि जो वित्त वर्ष 2019-20 में 2.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से अधिक है।

4. राजकोषीय घाटा वित्तपोषण के स्रोत

- जब सरकार का राजस्व अपने खर्च से कम होता है तो सार्वजनिक और विदेशी संस्थान से अधिक मुद्रा खरीदकर, इस स्थिति से निपटा जाता है। धन की इस अस्थायी व्यवस्था को घाटे के वित्तपोषण के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों में निवल बाजार उधार 4.99 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2020-21 में यह लगभग 5.36 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।
- नगदी शेष आहरण की बात करें तो वर्ष 2019-20 में 51059 करोड़ रुपये अनुमानित था, वहीं 2020-21 के बजट में यह (-)53003 करोड़ रुपये अनुमानित है गौरतलब है कि ऋण चिह्न नकद शेष में आहरण द्वारा कमी को दर्शाता है।
- राज्य भविष्य निधि प्राप्तियों से सरकार को प्राप्त होने वाले वित्त का वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान 18000 करोड़ रुपये के समान ही वर्ष 2020-21 में भी अनुमानित है।
- विदेशों से वर्ष 2019-20 में 4993 करोड़ रुपये (सं.अ.) है जबकि 2020-21 में 4622 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।
- अल्प बचतों के बदले सरकार प्रतिभूति जारी करके जहां वर्ष 2019-20 में 240000 करोड़ रुपये (सं.अ.) प्राप्त करेगी वहीं वर्ष 2020-21 के लिए भी इतने ही रुपये अनुमानित किये गये हैं।

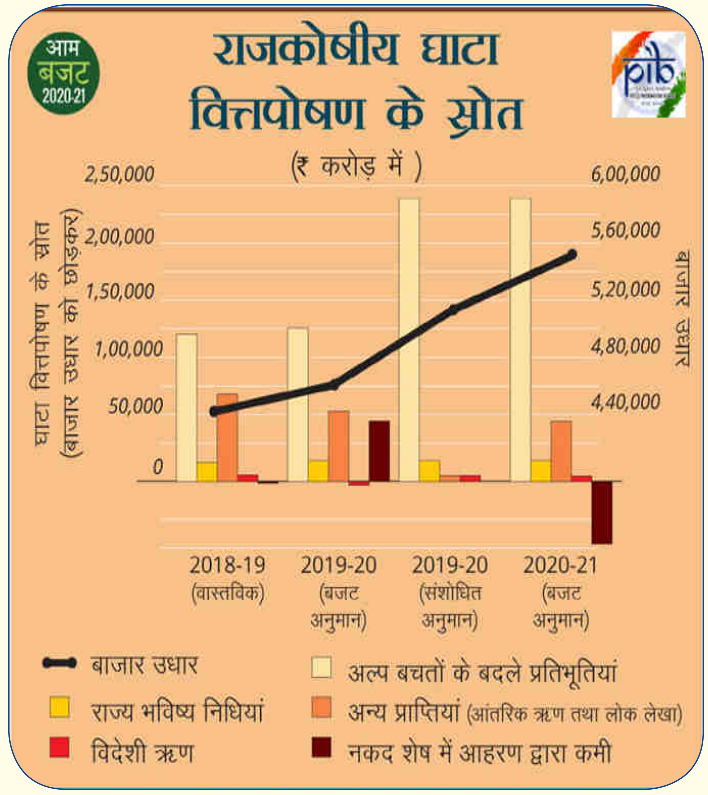

5. कर प्राप्तियों में रुझान

- 2019-20 के संशोधित अनुमानों की तुलना में सकल कर राजस्व में 12% की वृद्धि का अनुमान है जोकि 2020-21 में नॉमिनल जीडीपी की 10% की अनुमानित वृद्धि से अधिक हैं। 2020-21 में सरकार का शुद्ध कर राजस्व (टैक्सों में राज्यों की हिस्सेदारी को हटाकर) 16,35,909 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- **अप्रत्यक्ष कर:** 2020-21 में 10,96,520 करोड़ रुपए का कुल अप्रत्यक्ष कर जमा होने का अनुमान है। इसमें से सरकार को जीएसटी से 6,90,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जीएसटी के अंतर्गत जमा किए गए कुल करों में से 84% (5,80,000 करोड़ रुपए) केंद्रीय जीएसटी और 16% (1,10,500 करोड़ रुपए) मुआवजा सेस से प्राप्त होने की उम्मीद है।
- **निगम कर:** कंपनियों पर करों के संग्रह के 2020-21 में 11.5% बढ़कर 6,81,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 2019-20 के संशोधित अनुमान संकेत देते हैं कि 2019-20 के बजट अनुमानों से निगम कर में 20.3% की कमी हो सकती है। इस कमी का कारण यह हो सकता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान निगम कर में कटौती की गई थी।

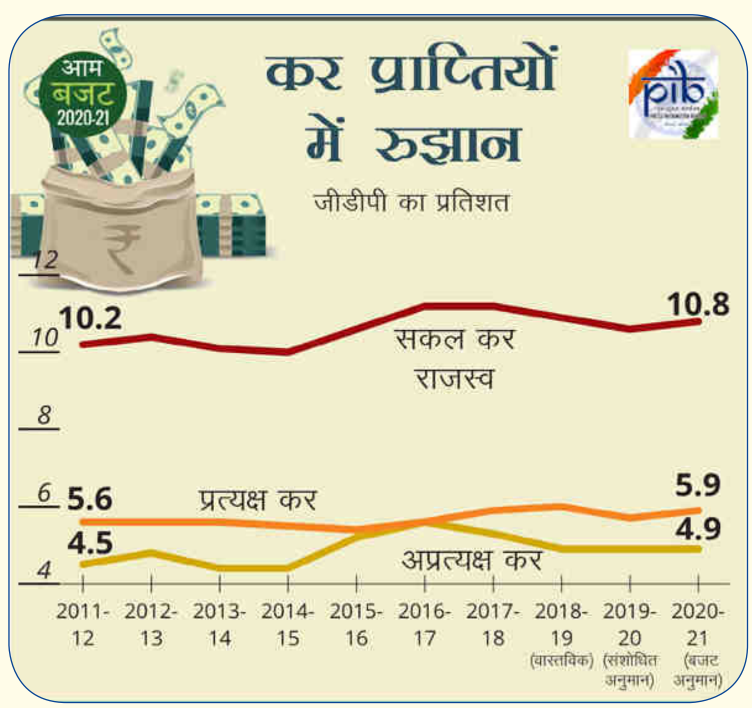

- **आयकर:** आयकर संग्रह के 2020-21 में 14% बढ़कर 6,38,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। करों की दरों में कटौती के बावजूद 14% की वृद्धि हुई है। यानी कर की दरों में कमी के कारण 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व के न जुड़ने के बावजूद आयकर के 21% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

6. सब्सिडी

- केन्द्रीय संघीय बजट 2020-21 में सब्सिडी पर कुल 2,62109 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जोकि 2019-20 के संशोधित अनुमानित राशि से 0.5% कम है।
- **खाद्य सब्सिडी:** 2020-21 में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,15,570 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जोकि 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.3% अधिक है। 2019-20 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,84,220 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, हालांकि संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से 1,08,688 करोड़ रुपए कम थे।
- **उर्वरक सब्सिडी:** 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर 71,309 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8,689 करोड़ रुपए अर्थात 10.9% की गिरावट को दर्शाता है
- **पेट्रोलियम पर सब्सिडी:** 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर होने वाले व्यय में 40,915 करोड़ रुपए की वृद्धि (6.1%) का अनुमान है। पेट्रोलियम सब्सिडी में एलपीजी (37,256 करोड़ रुपए) और केरोसिन (3,659 करोड़ रुपए), दोनों पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है।
- **अन्य सब्सिडीज:** अन्य सब्सिडीज पर किए जाने व्यय में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी, कृषि पैदावार के लिए मूल्य समर्थन योजना और खरीद के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों को सहायता इत्यादि शामिल हैं।

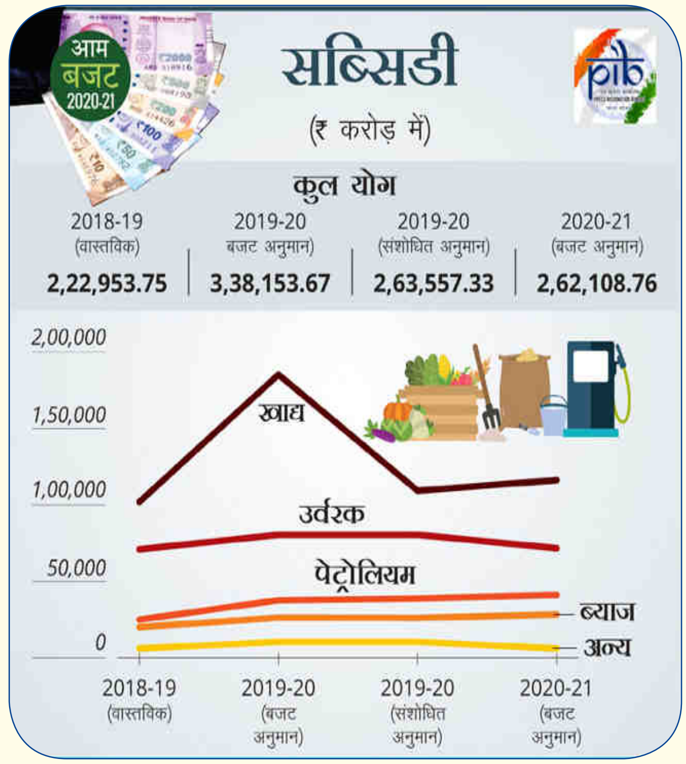

7. रेल बजट

- भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट 2020-21 में रेलवे के लिए 70 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये है, साथ ही सरकार ने भारतीय रेलवे के बुनियादी ढ़ाँचे में सुधार के लिए कई उपाय सुझाये हैं।
- ज्ञातव्य है कि रेलवे का समग्र पूँजीगत व्यय कार्यक्रम 1.61 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 3 प्रतिशत ज्यादा है।
- **परिचालन अनुपात:** परिचालन अनुपात (Operating Ration) यह इंगित करता है कि एक रुपये कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ रहा है। 90 प्रतिशत के ऑपरेटिंग अनुपात का अर्थ है कि रेलवे 100 पैसा कमाने के लिए 90 पैसा व्यय कर रहा है।
- भारतीय रेलवे को यात्री परिवहन से होने वाली आय 61 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 56 हजार करोड़ रुपये थी।
- वहीं 2020-21 में माल ढुलाई से होने वाली आय 1,47,000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 1,34,733 करोड़ रुपये थी।
- केन्द्रीय बजट 2020-21 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 4 स्टेशन और 150 यात्री ट्रेनो का संचालन किया जायेगा। साथ ही 100 लाख करोड़ रुपये का नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जायेगा। इसके अलावा 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जायेगा। सोलर पॉवर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने की योजना है।

- बजट के अनुसार 18600 करोड़ रुपये की लागत से 148 किलोमीटर लंबी बंगलुरु कूप नगरी परिवहन योजना शुरू की जायेगी, जिसका किराया मेट्रो मॉडल के तहत होगा साथ ही केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत का फंड देगी और बाहर से 60 प्रतिशत धन जुटाया जायेगा।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)
TARGET 2020

PROGRAMME OBJECTIVE

CAIPTS is a comprehensive and integrated program which will provide CSE Aspirants a good competitive environment, who are appearing in CSE-2020. In addition to this, an integrated guidance mechanism has been included in CAIPTS to keep the aspirants aligned with the true spirit of Civil Service Exam.

APPROACH ANALYSIS

Along with studying basics and reference books it is necessary to examine our knowledge through MCQs based questions which will help to build right attitude towards solving questions and reduce the rate of errors committed by aspirants.

For this, Dhyeya IAS brings "Comprehensive All India Prelims Test Series (CAIPTS)" for the aspirants which will provide a real time environment for upcoming civil services examination.

"Examine Yourself Before Examination"

Total 17 Tests

- ☑ Full GS & CSAT Tests
- ☑ 12 GS Tests + 5 CSAT Tests
- ☑ 2 GS & 2 CSAT Papers (Based on UPSC Previous Years Papers)

FREE GS MODEL TEST FOR ALL
16TH FEBRUARY 2020

Fee (inclusive of all taxes)

OFFLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 5,000/-
For Other Students	Rs. 7,000/-

ONLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 2,000/-
For Other Students	Rs. 4,000/-

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

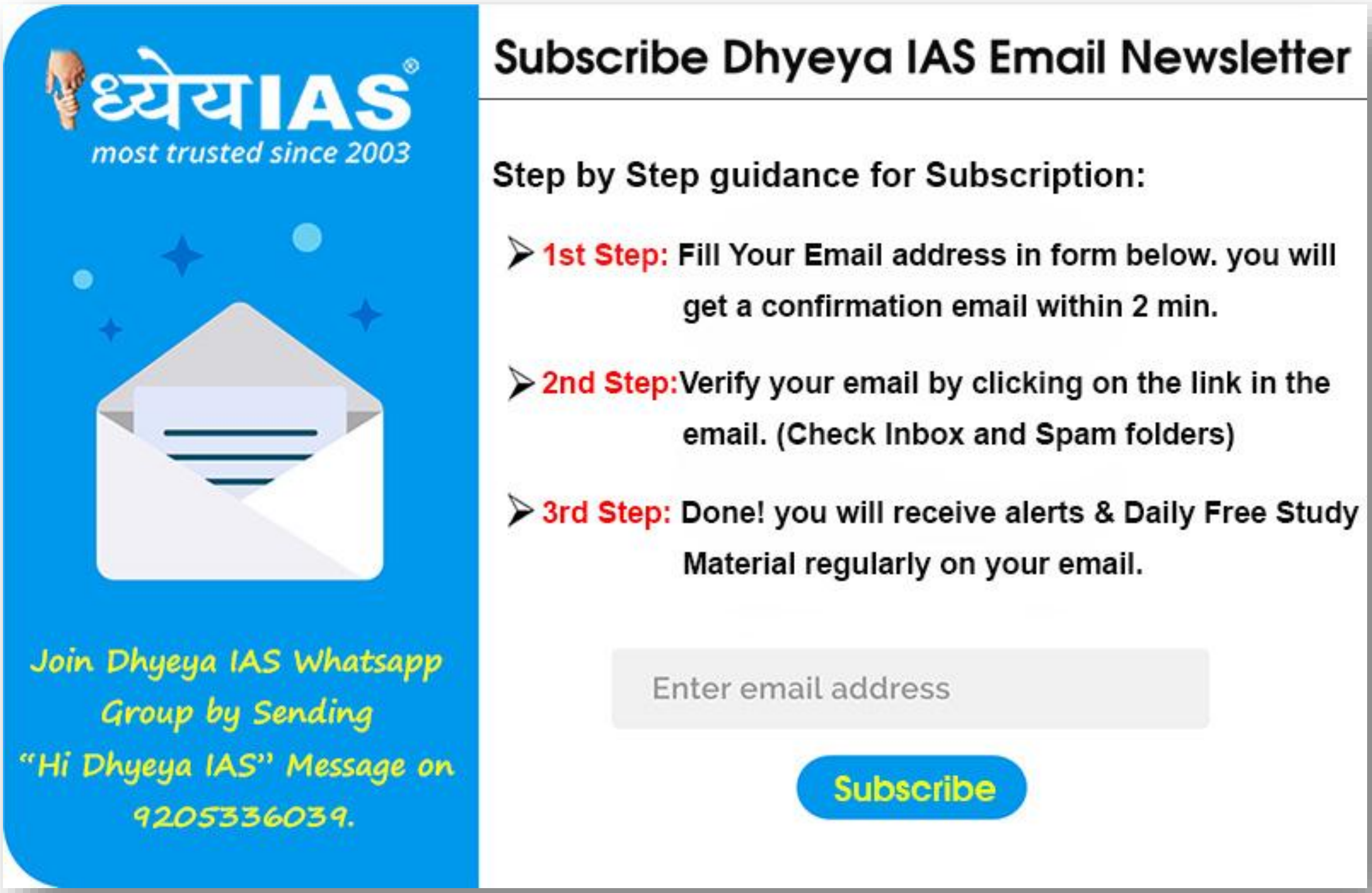

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400